समाहरणालय,मधुबनी (बिहार)
Collectorate, Madhubani

मधुबनी

:-06276-222217(Off) 222576(Aapda)
E-mail-apdamadhubani@gmail.com

E-mail:-dm-madhubani.bih@nic.in
Web:-http: //madhubani.nic.in

बिहार सरकार

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

संचिका संख्या– XI-14/2022 पत्रांक– 2471 /आ0प्र0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक– 30/12/2022

विषय :– अद्यतन जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–4389 /आ0प्र0प्रा0, दिनांक–13.12.2022 ई0।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में इस जिले का "जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) अद्यतन कर अद्योहस्ताक्षरी से अनुमोदनों के उपरान्त इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

28/12/22

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

2022

जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

आपदा नहीं हो भारी
यदि पूरी हो तैयारी..

क्र0	विषय	पेज सं0
अध्याय 1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan	
	1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय	1
	1.2 उद्देश्य	6
	1.3 योजना का कार्यक्षेत्र	7
	1.4 योजना निर्माण पद्धति	7
	1.5 योजना का कार्यान्वयन	9
	1.5.1 मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व	9
	1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	11
अध्याय 2	जिला का परिचय District Profile	
	2.1 परिचय	12
	2.2 भौगोलिक स्थिति	13
	2.3 जनसंख्या विवरण	13
	2.4 संसाधन	13
	2.5 कृषि व्यवस्था	13
अध्याय 3	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis	
	3.1 जिला में विद्यमान खतरों का विश्लेषण	14
	3.2 जिला में संभावित खतरों का प्रभाव 3.2.1. बाढ़	15
	3.2.2 भूकम्प	42
	3.2.3 वज्रपात/ठनका	44
	3.2.4 अगलगी	45
	3.2.5 शीतलहर	48
	3.2.6 सुखाड़	48
	3.2.7 सड़क दुर्घटना	50
	3.2.8 सर्पदंश	53
	3.2.9 भगदड़	54
	3.2.10 महामाड़ी (कोविड–19)	54
	3.2.11 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि	55
	3.2.12 औद्योगिक दुर्घटना	55
अध्याय 4	**संस्थागत ढाँचा** Instituional Arrangement	
	4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन	57
	4.2 पंचायती राज संस्थायें	57
	4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन	57

अध्याय 5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** Prevention, Mitigation and Preparedness Measures	
	5.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप	60
	5.2 आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्य	62
	संस्थागत क्षमतावर्द्धन (Institutional Capacity Building)	
अध्याय 6	6.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन	70
	6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत	70
	6.3 पेशेवर	70
	6.4 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के प्रस्तावित विषय	71
	6.5 प्रशिक्षित लोगो की सूची एवं प्रशिक्षण मॉडयूल	72
	6.6 जागरूकता सृजन	73
अध्याय 7	**प्रत्युत्तर योजना** Response Plan	
	7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया	75
	7.1.1 Incident Commander का दायित्व	76
	7.1.2 जिला में हितधारकों एवं उनकी कार्ययोजना	77
	7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य	78
	7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण	80
	7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली	80
	7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय	81
	7.3.3 खोज, बचाव, राहत काय	82
	7.3.4 शव एवं मलवा निपटान	83
अध्याय 8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** Reconstruction, Rehabilitation , Recovery	
	8.1 क्षति आकलन	85
	8.2 पीड़ितो को राहत	86
	8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	86
	8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति	87
अध्याय 9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** Budget and Financial Resources	
	9.1 अधिनियम में प्रावधान	88
	9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत	88
	9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम	88
	9.4 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।	90
	9.5 अन्य श्रोत	109

अध्याय 10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** Monitoring Evaluation and Updation	
	10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	110
	10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराय	110
	10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन	110
	10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच	111
	10.1.4 उपलब्ध संसाधन सूची को अद्यतन करना :–	111
	10.1.5 नियमित मॉकड्रील द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच	111
	10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण	111
	10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन	112
	10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण	112
	10.1.9 समन्वय	112
	10.1.10 जन जागरूकता	112

अध्याय–01

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना

Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan

1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय :

अनुभाग(क) भारत का राजपत्र असाधारण

आपदा प्रबंधन अधिनियम

2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 04 के कंडिका:–

25.

1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात यथाशीध राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होगे अर्थात:–
   (क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;
   (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह–अध्यक्ष होगा: परन्तु संविधान की छठी अनुसूची में जैसी निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह–अध्यक्ष होगा;
   (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यापालक अधिकारी, पदेन;
   (ध) पुलिस अधीक्षक, पदेन;
   (ड़) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;
   (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3) ऐसे किसी जिले में जहॉ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा।
4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

26.

1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे।
2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधरण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति उपधारा, (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्यिों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तो और निबंधनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

27. जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

28.

1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।
2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निदिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
3) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भते संदत किए जा सकेगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

29. राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलबध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

30.

1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्टीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदशक सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–
   - (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;
   - (ii) राष्टीय नीति, राज्य नीति, राष्टीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;
   - (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानिय प्राधिकारियों द्वारा किए गये है;
   - (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;
   - (v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो;
   - (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा;
   - (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा योजनओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;
   - (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;
   - (ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक है;

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्व विभागों या संबंद्व प्राधिकारियों को जहॉ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारीयों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xv) जिला स्तर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xvi) किसी आपदा के आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;

(xviii) जिला स्तर पर संबद्व सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकरी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उसकी मार्गनिर्देश दे सकेगा;

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हे सलाह दे सकेगा;

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधो को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जॉच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथिक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्व प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दें सकेगा;

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है;

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

31.

1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–
   (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है;
   (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;
   (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;
   (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचना योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों–
      (i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन;
      (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;
      (iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;
      (iv) संचार सम्पर्क की स्थापना; और
      (v) जनता को सूचना का प्रसार;
   (ड.) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए–
   (क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगें जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात्:–
      (1) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है;
      (2) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;
      (3) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;
   (ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;
   (ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और
   (घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।

33. जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करें, जो आवश्यक हों और ऐसा अधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण–

क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;

ख) अतिसंदेनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर के आवागन को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;

ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;

घ) मलवा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;

ङ) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;

च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;

छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;

ज) जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;

झ) सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;

ञ) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्ही सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;

ट) अस्थायी पुलो या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निमार्ण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय है या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती है, ध्वस्त कर सकेगा;

ठ) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करें;

ड) ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–31(1) के अनुसार "राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।" जिसके अनुपालन में मधुबनी जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।

इस योजना में जिला में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवीय भूलवश उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों एवं इन खतरों की चपेट में आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तियों का ब्योरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा मोचन की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायो का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकरीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड–मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

मधुबनी जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण

ण्आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागो के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहो क बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।
- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तगर्त आगामी विकास कार्यो के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना।
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यो का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक, तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.3 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण जिला को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्नकरण, पुर्नप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े–बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात,हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा हैं। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–सयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए है।
10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.4 योजना निर्माण पद्धति (Plan Development Methodology) :

योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology) : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है। योजना की सामग्री मुख्य रूप में दो श्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई । योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये । साथ हीं जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।

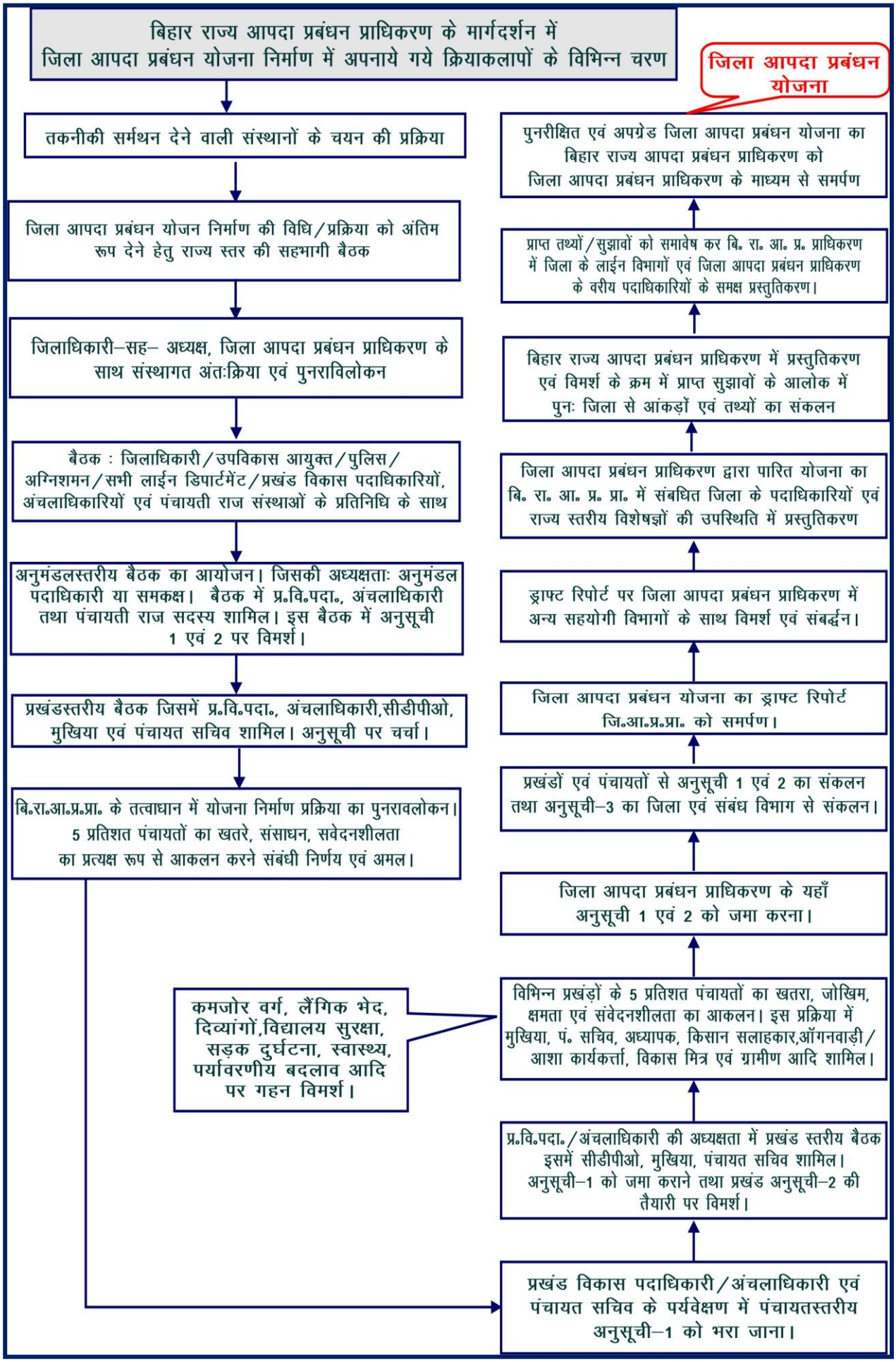
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में
जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण में अपनाये गये क्रियाकलापों के विभिन्न चरण
जिला आपदा प्रबंधन योजना
तकनीकी सर्मथन देने वाली संस्थानों के चयन की प्रक्रिया
जिला आपदा प्रबंधन योजन निर्माण की विधि/प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तर की सहभागी बैठक
जिलाधिकारी–सह– अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संस्थागत अंतःक्रिया एवं पुनराविलोकन
बैठक : जिलाधिकारी/उपविकास आयुक्त/पुलिस/अग्निशमन/सभी लाईन डिपार्टमेंट/प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ
अनुमंडलस्तरीय बैठक का आयोजन। जिसकी अध्यक्षताः अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष। बैठक में प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी तथा पंचायती राज सदस्य शामिल। इस बैठक में अनुसूची 1 एवं 2 पर विमर्श।
प्रखंडस्तरीय बैठक जिसमें प्र.वि.पदा., अंचलाधिकारी,सीडीपीओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची पर चर्चा।
बि.रा.आ.प्र.प्रा. के तत्वाधान में योजना निर्माण प्रक्रिया का पुनरावलोकन। 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरे, संसाधन, सवेदनशीलता का प्रत्यक्ष रूप से आकलन करने संबंधी निर्णय एवं अमल।
कमजोर वर्ग, लैंगिक भेद, दिव्यांगों,विद्यालय सुरक्षा, सड़क दुर्घटना, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय बदलाव आदि पर गहन विमर्श।
पुनरीक्षित एवं अपग्रेड जिला आपदा प्रबंधन योजना का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से समर्पण
प्राप्त तथ्यों/सुझावों को समावेष कर बि. रा. आ. प्र. प्राधिकरण में जिला के लाईन विभागों एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रस्तुतिकरण एवं विमर्श के क्रम में प्राप्त सुझावों के आलोक में पुनः जिला से आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित योजना का बि. रा. आ. प्र. प्रा. में संबधित जिला के पदाधिकारियों एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण
ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अन्य सहयोगी विभागों के साथ विमर्श एवं संबर्द्धन।
जिला आपदा प्रबंधन योजना का ड्राफ्ट रिपोर्ट जि.आ.प्र.प्रा. को समर्पण।
प्रखंडों एवं पंचायतों से अनुसूची 1 एवं 2 का संकलन तथा अनुसूची–3 का जिला एवं संबंध विभाग से संकलन।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के यहाँ अनुसूची 1 एवं 2 को जमा करना।
विभिन्न प्रखंड़ों के 5 प्रतिशत पंचायतों का खतरा, जोखिम, क्षमता एवं संवेदनशीलता का आकलन। इस प्रक्रिया में मुखिया, पं. सचिव, अध्यापक, किसान सलाहकार,ऑगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्ता, विकास मित्र एवं ग्रामीण आदि शामिल।
प्र.वि.पदा./अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बैठक इसमें सीडीपीओ, मुखिया, पंचायत सचिव शामिल। अनुसूची–1 को जमा कराने तथा प्रखंड अनुसूची–2 की तैयारी पर विमर्श।
प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं पंचायत सचिव के पर्यवेक्षण में पंचायतस्तरीय अनुसूची–1 को भरा जाना।

1.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) : इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलोकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी इन्सिडेंट कमांडर होगें तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

1.5.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र॰	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	मुखिया एवं एस॰ डी॰ आर॰ एफ॰
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी	ए॰पी॰एच॰सी॰ एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुएशन दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितो की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्डो के हित का कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
		ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
02	प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशाखा	स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरो की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपति	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		सहकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
		श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा	आश्रय स्थल/ राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी

		पशु एवं मतस्य	पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी
		जल संसाधन	सिचांई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
		सांख्यिकी	वर्षापात एवं अन्य आकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों का सुसंचालन	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधो की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावो की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलो की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दवा	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुचारा एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग/आपूर्त्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्त्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा संबंधी जागरूकता की पहल/जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	प्रचार–प्रसार	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के काम काज की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशाम के वाहनो की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी/जल्दी होने वाले फसलो की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यो के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		सहकारिता	भंडारण एवं आवासन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
		शहरी विकास	शहरो का नियमित विकास	नगर निगम/नगर पंचायत आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगो की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनो की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण/आकलन	अधीक्षक अभियंता
		भारत संचार निगम लि0	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य नीजि उपक्रम	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक

		रिलायंस, एयरटेल आदि		
		उद्योग	खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे पलायित श्रमिको की सूची का रखरखाव	जिला श्रम पदाधिकारी अधीक्षक
		उर्जा विभाग	बिजली की नियमित आपूर्त्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएँ	आवासन/राहत केन्द्र/भंडारण	प्राचार्य/स्वशासी निकाय
		एन॰सी॰सी॰	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ	विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		युवा संगठन	ब्चाव एवंराहत	अध्यक्ष/सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष/सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष/सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी,वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष/सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति	अध्यक्ष/सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारकों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक–एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मुल्याकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

अध्याय–02

जिला का परिचय

INTRODUCTION OF DISTRICT

2.1 परिचय :

मधुबनी मिथिला संस्कृति का अंग एवं केंद्र विंदु रहा है। राजा जनक और सीता का वास स्थल होने से हिंदुओं के लिए यह क्षेत्र अति पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। नेपाल की सीमा से सटा मधुबनी जिला बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। वर्ष 1972 ई में राज्य के जिलों के पुनर्गठन की प्रकिया में दरभंगा जिला विभाजन के उपरांत मधुबनी जिला बनाया गया था। जिला 85.43° – 86.42° अक्षांश एवं 25.59° – 26.39° देशान्तर, कुल 3501 वर्ग कि0 मी0 में फैला है। यह समुद्र तल से 80 मीटर उँचा है।

मधुबनी के

- उत्तर में नेपाल,
- दक्षिण में दरभंगा,
- पुरब में सुपौल तथा
- पश्चिम में सीतामढ़ी जिला है।

जिला में नदियों का जाल बिछा है। कमला, करेह, बलान, भूतही बलान, गेहुंआ, सुपेन, त्रिशुला, जीवछ, कोशी और अधवारा समूह मुख्य नदियाँ हैं। अधिकांश नदियाँ बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है। समूचा जिला एक समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र है। औसत सालाना 1273 मिमी वर्षा का अधिकांश मॉनसून से प्राप्त होता है।

यह जिला 5 अनुमंडल, (मधुबनी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर एवं फुलपरास) 21 प्रखंडों (मधुबनी सदर (रहिका), पंडौल, बिस्फी, जयनगर, लदनिया, लौकहा, झंझारपुर, बेनीपट्टी, बासोपट्टी, राजनगर, मधेपुर, अंधराठाढ़ी, बाबूबरही, खुटौना, खजौली, घोघरडीहा, मधवापुर, हरलाखी, लौकही, लखनौर, फुलपरास, कलुआही) तथा 388 पंचायतों तथा 1115 गाँवों में बँटा है। जिले में कुल 1883 प्राथमिक विद्यालय, 1006 मध्य विद्यालय, 14 बुनियादी विद्यालय, 422 उच्च विद्यालय है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिला की कुल आबादी 44,76,044 है, जिसमे पुरूष– 23,24,984 महिला– 21,51,060 है।

जनसंख्या, लिंगानुपात, धनत्व, बाल आबादी, 7 वर्ष एवं उससे उपर की आबादी – वर्ष 2011		
कुल आबादी	कुल आबादी	4476044
	पुरूष	2324984
	महिला	2151060
लिंग अनुपात	1000 पुरूष पर कुल महिलायें	925
	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)	1279
	दशकीय वृद्धि दर	25.19
0–6 आयु वर्ग में बच्चों की आबादी	कुल आबादी	779360
	पुरूष	403516
	महिला	375844
7 वर्ष से उपर की आबादी	कुल आबादी	3696684
	पुरूष	1921468
	महिला	1775216

मधुबनी जिला 3501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र– 3480.5 वर्ग किलो मीटर एवं शहरी क्षेत्र 20.50 वर्ग किलो मीटर है। कृषि विभाग के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल–353498 हे0 है, जिसमें कुल फसल क्षेत्र–312583 हे0 है।। मधुबनी मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। कृषि प्रधान इस जिले में आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि एवं कृषि –उत्पाद है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, मखाना आदि है। जिले की मिट्टी चूनेदार है। मिट्टी और रेत का मिश्रण अलग–अलग अनुपात में है। यहाँ के अधिकांश हिस्से में जल सोखने वाली मटियारी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी धान की खेती के लिए

अनुकूल है। जिले की कृषि सामान्यतः वर्षा पर आधारित है। जिला में सामान्य वार्षिक वर्षापात 1185 mm इसके साथ साथ नहर, पोखर, तालाब, बोंरिग आदि से भी कृत्रिम सिंचाई की जाती है।

जिले में पशुपालन के क्षेत्र में गाय, भैस एवं बकरी मुख्य पशु है। पशु चिकित्सक के लिए उपलब्ध संसाधन के रूप में एक राजकीय पशु चिकित्सालय, 44 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं वर्तमान में 40 पशु चिकित्सक एवं 02 पशुधन सहायक उपलब्ध हैं।

जिले में मुख्य 3 नहरे है–(1) पश्चिमी कोशी नहर, (2) कमला सिंचाई नहर तथा (3) पुराना किन्स कैनल। जिले में बाढ़ एक आवर्ती प्रक्रिया है। जिससे फसल एवं जान–माल की क्षति होती है।

जिले में कभी अनेकों चावल मिले हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक नेपाल के साथ व्यापक वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में यह जिला विख्यात था। कपास, रेशम, सुपारी, एवं तम्बाकू सहित मछली, हथकरघा के कपड़े, आम, गन्ना एवं ताम्बे के बर्तन का निर्यात होता था। वर्त्तमान समय में मधुबनी पेंटिग (मिथिला पेंटिग) अपनी खास बनावट एवं डिजाईन के लिए जाना जाता है। स्थानीय उपलब्ध वनस्पति से प्राकृतिक रंग लेकर कपड़े एवं कागज के कैनवास पर मधुबनी पेंटिग की जाती है।

यहाँ तीन मुख्य मौसम है– शीत ऋतु, ग्रीष्म गर्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है। ठंडे का मौसम वैसे मार्च तक टिकता है। फिर पछुवा धूल भरी हवा बहती है और ताप क्रम 42 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य जून तक आते आते बारिश प्रारंभ होती है और तापक्रम धटने एवं आद्रता बढ़ने लगती है। बारिश सितम्बर तक और कभी कभी मध्य अक्टूबर तक जारी रहती है।

मधुबनी बिहार के सभी मुख्य शहरों से राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से वर्तमान में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दो राजकीय राजमार्ग गुजरती हैं। मुजफ्फरपुर से फारबिसगंज होते हुए पूर्णिया जानेवाला राष्ट्रीय राजमार्ग 57 मधुबनी जिला होते हुए जाती है। मधुबनी से गुजरने वाली दूसरी सड़क 55 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 105 है जो दरभंगा को मधुबनी के जयनगर से जोड़ता है। राजधानी पटना से सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

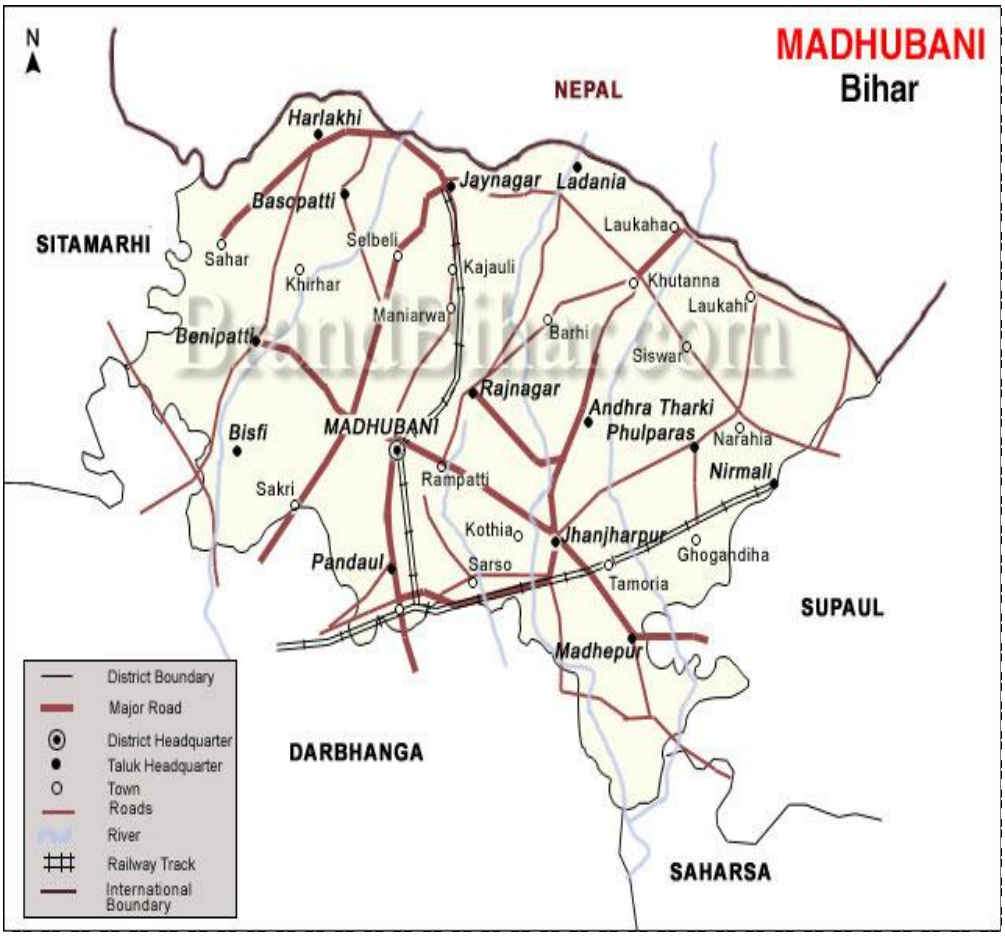

मधुबनी भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के समस्तीपुर मंडल में पड़ता है। दिल्ली–गुवाहाटी रूट पर स्थित समस्तीपुर जंक्शन से बड़ी गेज की एक लाईन मधुबनी होते हुए नेपाल सीमा पर झंझारपुर को जाती है। मधुबनी से गुजरने वाली एक अन्य रेल लाईन सकरी से घोघरडिहा होते हुए फॉरबिसगंज को जोड़ती है। 1996 के बाद रेल अमान परिवर्तन होने से दरभंगा होते हुए दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए यहाँ से सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। इसके अलावा एक रेललाईन दरभंगा से सकरी और झंझारपुर होते हुए लौकहा तक नेपाल की सीमा को जोड़ती है। जिले में सकरी और झंझारपुर दो रेल के जंक्शन हैं।

= = = = = =

अध्याय–03

खतरा, जोखिम, संवेदनषीलता एवं क्षमता विष्लेषण
Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis

मधुबनी जिला अपने विशेष भौगोलिक एवं जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं यथा बाढ़, भूकम्प, सूखा, अग्निकांड, वज्रपात, सड़क दुर्घटना आदि के प्रति प्रवण है। जिला कई प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। भौगोलिक संरचना, जनसंख्या धनत्व में वृद्धि एवं जिला में स्थित कमजोर आधारभूत संरचनाएँ इसे संवेदनशील बनाती है।

3.1 जिला के विभिन्न खतरों (Hazards) के कालखंड एवं संवेदनशील (Vulnerable) क्षेत्र :

खतरा/माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशील क्षेत्र
भूकंप													संपूर्ण जिला भूकम्पीय जोन v में है।
बाढ़													जिला के 21 में से 17 प्रखंड।
सुखाड़													वर्षा अनुसार, जिला के आंशिक क्षेत्र।
आग													पछुआ हवा एवं त्योहारों के दौरान संपूर्ण जिला। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र।
लू													संपूर्ण जिला
ओलावृष्टि													ओलावृष्टि के अनुसार, जिला के आंशिक क्षेत्र।
शीतलहर													मौसम अनुसार, संपूर्ण जिला।
ठनका/वज्रपात													वर्षा अनुसार, संपूर्ण जिला।
सड़क दुर्घटना													संपूर्ण जिला।
औद्योगिक दुर्घटना													
भगदड़													धार्मिक त्योहारों के दौरान।
महामारी													संपूर्ण जिला। (कोविड)
रेल दुर्घटना													रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र
नाव/डुबने की दुर्घटना													संपूर्ण जिला। विशेषकर त्योहारों के दौरान।
सर्पदंष													संपूर्ण जिला।

आपदा चिह्नितकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, आवृति तथा आपदा क्षति के आलोक में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

जिला	भूकंप	बाढ	सूखा	आग	लू	ओलावृष्टि	शीतलहर	ठनका/वज्रपात	औद्योगिक दुर्घटना	भगदड़	सड़क दुर्घटना	भगदड़	महामारी	रेल दुर्घटना	नाव/डुबने की दुर्घटना	सर्पदंष
मधुबनी																

तीव्रता सूचक			
उच्च	मध्य	निम्न	सामान्य

3.2 संभावित खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषणः–

मधुबनी जिला एक बहू आपदा प्रवण जिला है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह जिला लगभग पूरे वर्ष किसी–न–किसी आपदा से प्रभावित रहता है। जिला में घटित/संभावित खतरों के कालखंड, उसकी तीव्रता एवं संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पीछे के पेज पर तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

3.2.1 बाढ़

इस जिले में लगभग 18 नदियों और इसकी सहायक नदियों (कमला, भूतही बालान, गेहूँमा, सुपैन, त्रिशुला, जीवछ, कोशी, और अधवारा समूह) इस जिले से गुजरती है। इस क्षेत्र की भूमि का स्वरूप तराई का है जिससे अधिकांश भूमि गहरी है, जो मानसून के दौरान, नदियों के पानी से भर जाता है और बाढ़ का कारण बनने लगता है। उल्लेखनीय है कि ज्यादातर नदियाँ मौसमी हैं और मानसून के पानी पर निर्भर हैं।

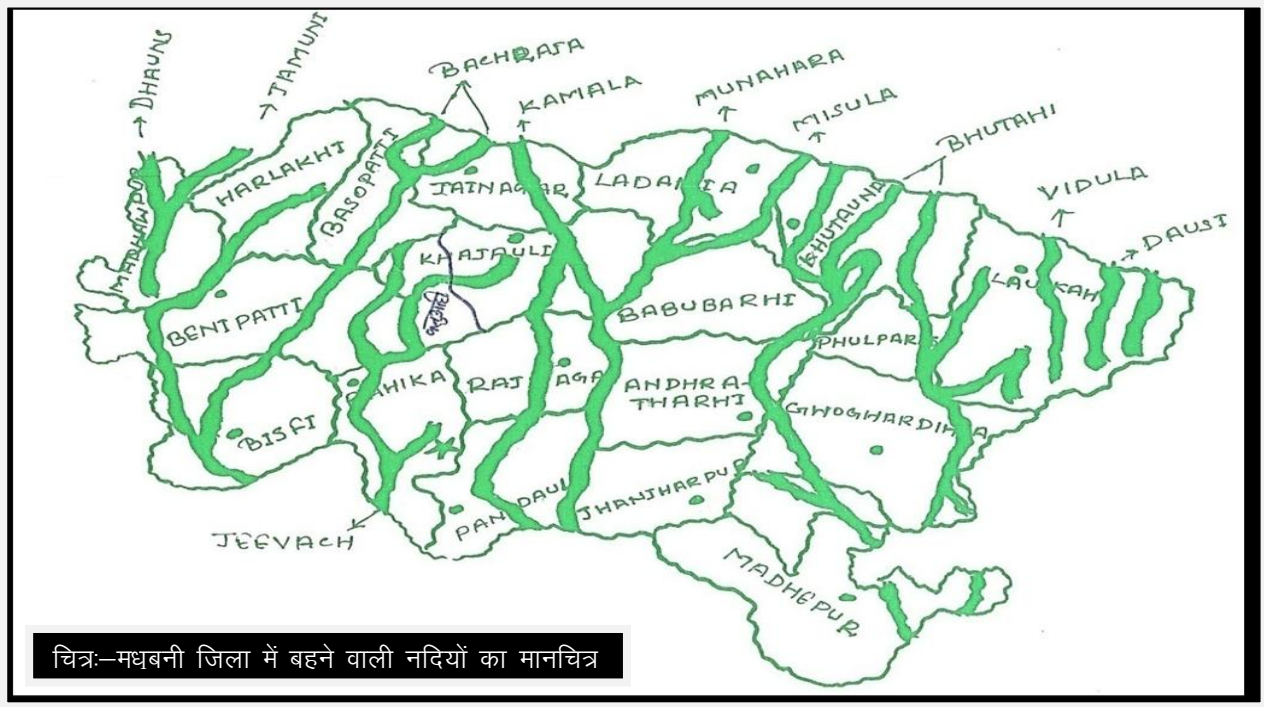

चित्रः–मधबनी जिला में बहने वाली नदियों का मानचित्र

बाढ़ के कारण पूर्व के वर्षों में हुई क्षति का इतिहास

क्र0	प्रभावितों का विवरण	वर्ष 1997	वर्ष 1998	वर्ष 1999	वर्ष 2002	वर्ष 2004	वर्ष 2007	वर्ष 2011	वर्ष 2017	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021
1	प्रभावित प्रखंडों की संख्या	14	17	04	19	20	21	6	6	18	4	6
2	प्रभावित पंचायतों की संख्या	125	150	26	301	373	341	79	207	224	35	09
3	प्रभावित ग्रामों की संख्या	353	371	90	787	1069	874	174	576	547	135	20
4	प्रभावित जनसंख्या	510178	605842	16574	1688300	2835000	1801419	625438	765168	1370000	247528	10210
5	प्रभावित फसल क्षेत्र	30413 हे0	17159 हे0	8189 हे0	171512 हेक्टयर	169488 हेक्टेयर	79419 हेक्टेयर	17183 हेक्टेयर	53248 हेक्टेयर	29993 हेक्टेयर	14317 हेक्टेयर	29441 हेक्टेयर
7	क्षतिग्रंस्त मकानों की संख्या	4602	5945	4392	113062	105756	145517	26954	50208	3800	202	9

प्रखंडवार नदियाँ एवं उनके प्रभावित क्षेत्र			
क्र0	प्रखंड का नाम	नदी के नाम	प्रभावित क्षेत्र / गाँव का नाम
1	मधवापुर	धौंस, रातो	बलवा, बैरवा, अंधौली, पतार, तरैया, विशनपुर (संख्या – 6)
2	बेनीपट्टी	धौंस, बुधवन, बछराजा, थुमहानी, जीवछ, अधवारा	कैशुली, अकौर, ब्रहमपुरा, देपुरा, दामोदरपुर, बलिया, पाली चानपुरा, बसैठ, विशनपुर (संख्या – 10)
3	हरलाखी	जमुनी	कमलापट्टी, हरलाखी, उमगॉव, गोपालपुर, मथिया (संख्या – 5)
4	बिस्फी	धौंस, धनुषी, अधवारा	राधोपुर, परसोनी, बिशौल, रहतौस, दामला, बैंगरा, बलहा रघौली, सादुल्लाहपुर, केवटी (संख्या – 10)
5	रहिका	जीवछ	सप्ता, डुमरी, मलंगिया, इजरा (संख्या – 4)
6	पंडौल	कमला नदी	खनगाँव, बेलाही, दहीवट, बथने, माधोपुर, सनकोर्थ (संख्या – 6)
7	कलुआही	जीवछ	मलमल (संख्या – 1)
8	खजौली	कमला, बलान, धौरी, सोनी	चतरा उत्तर, चतरा दक्षिण, भकुआ, चंन्द्रडीह (संख्या – 4)
9	बाबूबरही	क्मला, बलान, सुगरबे, झाँखी	तिरहुता, घंघौर, महेशवरा, सतधारा, बेला पीरही, सदरा, बरदाही, कुलहरिया, मिश्रौलिया (संख्या – 9)
10	राजनगर	कमला	कुलाथ, बरदारी (संख्या – 2)
11	बासोपट्टी	बछराजा	घोरबंकी, हत्थापुर परसा, मथिया, फेंट, वीरपुर, सिरियापुर (संख्या – 6)
12	जयनगर	बछराजा, गौरी, कमला	बेलही, परवा, सेलरा (संख्या – 3)
13	लदनियॉ	त्रिशुला, गागन, गौरी	पदमा, सिघपकला, धर्मवन, एकहरी, सिधपा, लक्ष्मीनिया (संख्या – 6)
14	झंझारपुर	कमला, बलान	बलनी मेहथ, नगर पंचायत, नरूआर (संख्या – 3)
15	लखनौर	कमला, बलान, गेंहुआ, सुपेन	सोहराल, कैथिनियॉ, दहिया, करवार (संख्या – 4)
16	मधेपुर	कोशी, गेंहुमा, बाथी, कमला	बसीपट्टी, गढ़गॉव, डारह, भरगामा, महपत्तियॉ, द्वालख, बकुआ, करहारा, भेजा (संख्या – 9)
17	अंधराठाढ़ी	कमला, बलान, सुगरबे	अंधराठाढ़ी, मोराओ (संख्या – 2)
18	फुलपरास	भूतही, बलान, गेंहुआ, कनकनियॉ	सिसवा बरही, महथौर खुर्द, रामनगर, गेंहुमा, बैरिया, सैनी धर्मडीहा (संख्या – 7)
19	खुटौना	सुगरवे, भूतही, बलान, बिहुल	ललमिनिया, बसुदेवपुर, एकहत्था, परसाही, पूर्वी पिपराही (संख्या – 5)
20	घोघरडीहा	भूतही बलान	ललमिनिया, बसुदेवपुर, बसुआरी (संख्या – 3)
21	लौकही	तिलयुगा, पॉची, धोरहद विहुल, खड़ग	जिरोगा, नरेन्द्रपुर, नरहिया, दक्षिण बनगामा, दक्षिण धनछिहा (संख्या – 5)

संवेदनशील/अति संवेदनशील तटबंधों की सूची					
क्र0	**तटबंध के नाम**	**बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल**	**स्थिति**	**संवेदनशील स्थान/किमी**	संवेदनशीलता
1.	कमला बलान तटबंध	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर	बाएं तटबंध	• बेतोन्हा, जयनगर (0.00–0.66)	अति संवेदनशील
				• टेरहा, जयनगर (7.38)	संवेदनशील
				• सेलरा, कसमा, जयनगर (8.00–10.70)	अति संवेदनशील
			दाएं तटबंध	• जयनगर (1.56–2.00)	अति संवेदनशील
				• जयनगर (2.00–3.00)	संवेदनशील
				• लक्ष्मीपुर, जयनगर (6.00–7.00)	संवेदनशील
				• कुरियाही, जयनगर (7.00–8.00)	संवेदनशील
				• सुक्की, खजौली, मधुबनी (9.00–11.00)	अति संवेदनशील
				• सुक्की, खजौली, मधुबनी (13.00–14.00)	संवेदनशील
				• ओलीपुर/झंझारपुर (35.50	संवेदनशील
				• बनौर/झंझारपुर (37.50)	अति संवेदनशील
				• मेहथ/झंझारपुर (43.00)	संवेदनशील
				• नरूआर/झंझारपुर (47.00–48.00)	संवेदनशील
				• आई0वी–आवाम/झंझारपुर (49.50–50.00)	संवेदनशील
				• आवाम/झंझारपुर (50.00–51.00)	संवेदनशील
	कमला बलान तटबंध	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, झंझारपुर	बाएं तटबंध	• सतघारा, बाबूबरही (27.50–28.50 Km)	संवेदनशील
				• रखवारी, अंधराठाढ़ी (36.00–37.00 Km)	संवेदनशील
				• कनर्पीघाट, अंधराठाढ़ी (41.00–42.00 Km)	संवेदनशील
				• परतापुरा, झंझारपुर (44.00–46.00 Km)	संवेदनशील
				• पिपराघाट, लखनौर (48.00–50.00 Km)	संवेदनशील
				• दैयाखरबार, लखनौर (54.50–55.00 Km)	संवेदनशील
				• राजाखरबार, लखनौर (58.50–59.00 Km)	संवेदनशील
				• खैरी मंडल टोल, मधेपुर (60.50–63.00 Km)	संवेदनशील
				• खैरी, मधेपुर (63.00–65.00 Km)	संवेदनशील
				• नंदनवन, मुसहरी, मधेपुर (67.00–69.00 Km)	संवेदनशील
				• हसौली, कल्याणपुर, मधेपुर (70.10 Km)	संवेदनशील
				• दलदल, मधेपुर (72.20–73.30 Km)	संवेदनशील
				• असमा–कनकी, मुसहरी घनश्यामपुर/किरतपुर, दरभंगा (75.00–77.00 Km)	संवेदनशील
				• रसियारी, किरतपुर, जिला–दरभंगा (77.50 Km)	संवेदनशील
				• जमालपुर, किरतपुर, दरभंगा (87.00–90.00 Km)	संवेदनशील
				• मलई, गौरा बौराम, दरभंगा (94.00–94.10 Km)	संवेदनशील

संवेदनशील/अति संवेदनशील तटबंधों की सूची					
क्र0	**तटबंध के नाम**	**बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल**	**स्थिति**	**संवेदनशील स्थान/किमी**	संवेदनशीलता
2	भूतही बलान तटबंध	**बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, झंझारपुर**	दायां तटबंध	• मधवापुर, खुटौना (4.50 Km)	संवेदनशील
				• बसनियॉ, खुटौना (5.00–6.00 Km)	संवेदनशील
				• खरबरिया, खुटौना (8.00–9.00 Km)	अति संवेदनशील
				• एकम्मा, खुटौना (9.00–10.00 Km)	संवेदनशील
				• राजपुर, खुटौना (12.00–13.00 Km)	संवेदनशील
				• दौलतपुर, खुटौना (13.00–14.00 Km)	संवेदनशील
				• महथौर, फुलपरास (17.00–18.00 Km)	अति संवेदनशील
			बायां तटबंध	• बलानपट्टी, खुटौना (03.00–04.00 Km)	अति संवेदनशील
				• भजनाहा, खुटौना (06.00–07.00 Km)	संवेदनशील
				• गोठ परसाही, खुटौना (12.60 Km)	अति संवेदनशील
				• टेंगरार, खुटौना (16.00–17.00 Km)	संवेदनशील
				• हनुमाननगर, फुलपरास (18.00–19.00 Km)	संवेदनशील
				• ननपट्टी, फुलपरास (23.00–24.00 Km)	अति संवेदनशील
				• रामनगर, फुलपरास (25.00 Km)	संवेदनशील

जमींदारी बांध के संवंदनशील स्थलों का विवरण					
क्र0	**बांध का नाम**	**नदी का नाम**	**बांध की लम्बाई**	**संवेदनशील स्थल**	**प्रखंड**
1.	मेघवन से जगवन	धौस	6.75 Km	ज्गवन	विस्फी
2.	जगवन से हिरोपट्टी	धौस	3.50 Km	सिंधिया	विस्फी
3.	हिरोपट्टी से रघौली	धौस	5.25 Km	मुशहरी टोला	विस्फी
4.	रघौली से सिघिया	धौस	6.50 Km	दुधैल	विस्फी
5.	उड़ेन बनकट्टा	धौस	5.20 Km	डयोढ़ी	बेनीपट्टी
6.	करहारा जमींदारी बांध	धौस	10.20 Km	रघौली	बेनीपट्टी
7.	पाली से नजरा	धौस	4.125 Km	करहारा सोहरैल	बेनीपट्टी
8.	बसैठा से अग्रोपट्टी	धौस	5.21 Km	त्रिमुहान	बेनीपट्टी
9.	चॉदपुरपट्टी रिंग बांध	धौस	6.24 Km	अग्रोपट्टी	बेनीपट्टी
10.	नजरा से मेघवन	धौस	1.99 Km	नजरा	बेनीपट्टी
11.	सिंधिया जमींदारी बांध	धौस	5.43 Km	पली	विस्फी
12.	विजलपुर सिंधिया	धौस	1.68 Km	चांदपुर	विस्फी
13.	भतौरा सिंधियां जमीदारी बांध	धौस	2.70 Km	शिवनगर	विस्फी
14.	मतरहरी से रानीपुर	धौस	1.94 Km	रानीपुर	बेनीपट्टी
15.	करहारा से सोहरैल	धौस	1.92 Km	वरदाहा/मेघवन	बेनीपट्टी
16.	पाली बरदाहा	धौस	16.30 Km	बिरदीपुर	बेनीपट्टी

स्लूईस गेटों की संख्या	
कार्य प्रमंडल	स्लूईस गेट की संख्या
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, झंझारपुर।	35
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर।	25

तटबधों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी की संख्या	
कार्य प्रमंडल	**श्रमिकों की संख्या**
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, झंझारपुर।	65
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर।	137
कुल :–	202

बाढ़ प्रभावित अंचल अंतर्गत अनुमानित जनसंख्या

जिला अन्तर्गत कुल–21 अंचलों में से लगभग 17 अंचल (2019 के अनुसार) बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	अनुमानित जनसंख्या
1	खजौली	30024
2	बाबूबरही	29686
3	घोघरडीहा	72927
4	जयनगर	107068
5	लदनियॉ	53923
6	बसोपट्टी	57717
7	बेनीपट्टी	167098
8	बिस्फी	144657
9	मधवापुर	121648
10	पंडौल	9625
11	झंझारपुर	155101
12	अंधराठाढ़ी	58194
13	लखनौर	155079
14	मधेपुर	146232
15	फुलपरास	21730
16	लौकही	166122
17	खुटौना	42120

प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित पंचायत		
क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत
1	अंधराठाढ़ी	अंधरागौर
2		अंधराठाढ़ी उत्तर
3		अंधराठाढ़ी दक्षिण
4		देवहार
5		गंगद्वार
6		हररी
7		हरणा
8		जलैसन
9		कर्णपुर
10		मदना
11		महरैल
12		ननौर
13		रखवारी
14		शिवा
15	बाबूबरही	बाबूबरही
16		भटचौरा
17		छौरही
18		घंघौर
19		महेशवाड़ा
20		मुरहदी
21		सतघारा
22		तिरहुता
23	बासोपट्टी	अरघावा
24		बासोपट्टी पश्चिमी
25		बासोपट्टी पूर्वी
26		बीरपुर
27		छतौनी
28		डामु
29		घोंरबंकी
30		हत्थापुर परसा
31		कटैया
32		खौना
33		महिनाथपुर
34		मड़िया
35		फेंट
36		सेलीबेली
37		सिरियापुर

38	बेनीपट्टी	अकौर
39		बनकट्टा
40		ब्रहमपुर
41		बररी
42		बसैठ
43		बेहटा
44		बेनीपट्टी
45		बेतौना
46		विसनपुर
47		धकजरी
48		गंगौली
49		करहारा
50		कटैया
51		मानपुर
52		मेघवन
53		महम्मदपुर
54		नगवास
55		पाली
56		परसौना
57		सलहा
58		समदा
59		शाहपुर
60		त्यौंथ
61	बिस्फी	औसी बभनगामा उत्तर
62		औसी बभनगामा दक्षिण
63		बलहा
64		भैरवा
65		भोज पंडौल
66		बिस्फी
67		चहुटा
68		जफरा
69		जगबन पूर्वी
70		जगबन पश्चिमी
71		खैरीबाका उत्तर
72		खैरीबाका दक्षिण
73		नाहस रूपौली उत्तर
74		नाहस रूपौली दक्षिण
75		नुरचक
76		परसौनी उत्तर
77		परसौनी दक्षिण
78		रघौली

79	बिस्फी	रघेपुरा
80		रथौस
81		सदुल्लाहपुर
82		सिमरी
83		सिहांसों
84		सिंगिया पूर्वी
85		सिंगिया पश्चिमी
86		सोंहास
87		तीसी नरसाम दक्षिण
88		तीसी नरसाम उत्तर
89	घोघरडीहा	अमही
90		बसुआरी
91		ब्रहमपुर उत्तर
92		ब्रहमपुर बथनाहा
93		छजना
94		घोघरडीहा नगरपंचायत
95		नौआबाखर
96		परसा उत्तर
97		परसा दक्षिण
98		सरौती
99	जयनगर	बरही
100		बेलही पश्चिम
101		बेलही पूर्वी
102		बेलही दक्षिण
103		बैरा
104		देवधा मध्य
105		देवधा उत्तर
106		देवधा दक्षिण
107		डोरबार
108		दुल्लीपट्टी
109		जयनगर नगर पंचायत
110		जयनगर बस्ती
111		कोरहिया
112		पड़वा बेलही
113		रजौली
114		सेलरा
115	झंझारपुर	बलनी मेहथ
116		चनौरागंज
117		झंझारपुर नगर पंचायत
118		काको
119		कोठिया
120		लोहना उत्तर

121	झंझारपुर	लोहना दक्षिण
122		महिनाथपुर
123		नवानी
124		ननौर
125		परसा
126		पिपरौलिया
127		रैयाम पूर्वी
128		रैयाम पश्चिमी
129		संग्राम
130		संतनगर
131		सिमरा
132		सुखेत
133	खजौली	भकुआ
134		चन्द्रडीह
135		चतरागोठ उत्तर
136		चतरागोठ दक्षिण
137		कन्हौली
138	खुटौना	बासुदेवपुर
139		झाझपट्टी आशा
140		मझौरा
141		परसाही पूर्वी
142		परसाही पश्चिमी
143		पिपराही
144	लदनियॉ	बेलाही
145		डलोखर
146		एकहरी
147		गिधवास
148		खोजा
149		कुमरखत पूर्वी
150		कुमरखत पश्चिमी
151		लक्ष्मीनियाँ
152		महथा
153		पदमा
154		सिघपकला
155		सिघपा
156	लखनौर	बेहट उत्तर
157		बेहट दक्षिण
158		बेलौचा
159		बैरमा
160		दीप पूर्वी
161		दीप पश्चमी
162		गंगापुर

163	लखनौर	कछुआ
164		कछुवी
165		कैथिनियाँ
166		लखनौर पूर्वी
167		लखनौर पश्चिमी
168		लौफा
169		मदनपुर
170		मैवी
171		तमुरिया
172	लौकही	अटरी
173		बनगामा उत्तर
174		बनगामा दक्षिण
175		बरूआर
176		बेलही भवानीपुर
177		धनछीहा
178		घरहारा
179		झहुरी
180		जिरोगा
181		करियौत
182		कुकरदौड़ा
183		लदनियाँ
184		लौकही
185		महादेवमंठ
186		मंशापुर
187		नरेन्द्रपुर
188		नरहिया उत्तर
189		नरहिया दक्षिण
190	मधेपुर	भकुआ
191		बांकी
192		बरसाम
193		बसीपट्टी
194		बाथ
195		भखराईन
196		भरगामा
197		भेजा
198		भीठभगवानपुर
199		डारह
200		द्वालख
201		गरगॉव
202		करहारा
203		मधेपुर पूर्वी
204		मधेपुर पश्चिमी
205		महासिंह हसौली

206	मधेपुर	महिसाम
207		महपतियाँ
208		मटरस
209		नवादा
210		पचाढ़ी
211		परबलपुर
212		प्रसाद
213		रहुआ संग्राम
214		सुन्दर विराजीत
215		तरडीहा
216	मधवापुर	बलवा
217		बासुकी बिहारी उत्तर
218		बासुकी बिहारी दक्षिण
219		विसनपुर
220		मधवापुर
221		मुखियापट्टी
222		पिहवाड़ा
223		पिरोखर
224		साहर उत्तर
225		साहर दक्षिण
226		सलेमपुर
227		तरैया
228		उत्तरा
229	पंडौल	सरसोपाही पूर्वी
230	फुलपरास	महथौर खुर्द
231		फुलपरास
232		रामनगर

बाढ़ 2022 : चिन्हित किये गये बाढ़ राहत शिविर की सूची

क्र0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	गॉव का नाम	चिन्हित किये गये राहत शिविर स्थल का नाम	बाढ़ शरणार्थियों को रखने की क्षमता (संख्या)	शिविर प्रभारी पदनाम
1.	बेनीपट्टी	शाहपुर	बररी, माधोपुर, धनुषी, शिवनगर	म0वि0 शिवनगर	255	पंचायत सचिव
			शाहपुर, छोलकाढ़ा, रामपुर, विशेलडगामा, अगरोपट्टी	उ0वि0 शाहपुर	700	प्रभारी अंचल निरीक्षक, बेनपीट्टी
		विशनपुर	विशनपुर मकिया	म0वि0 विशनपुर	600	अंचल अमीन, बेनीपट्टी
		पाली	पाली रजवन	उ0वि0 पाली	550	राजस्व कर्मचारी, बेनीपट्टी
		बसैठ	मतरहरी, बसैठ, चानपुरा	उ0वि0 बसैठ	850	प्रखंड शिक्षक
		मेघवण	मेघवन, नजरा, रानीपुर,	उ0वि0 मेघवण	500	राजस्व कर्मचारी, बेनीपट्टी
		करहारा	करहारा, सोहरौल	उ0वि0 करहारा	750	राजस्व कर्मचारी, बेनीपट्टी
		बेतौना	यमउस, एच्चैठ, लोरिका, धनौजा, देउरी, एराजी, बेतौना	कालीदास महा0वि0 उचैठ	950	पंचायत सचिव, बेतौना
		धकजरी	परकौली, धकजरी, नवकरही, नगवास, नवटोली	उ0वि0 धकजरी	600	अंचल अमीन, बेनीपट्टी
		गॅगुली	गंगुली, अंसार, बनिश्स	उ0वि0 गॅगुली	450	पंचायत सचिव, गंगुली
		सलहा	सलहा अधवारी, खुटौना, बरांटपुर	पंचायत सरकार भवन सलहा	350	पंचायत सचिव, सलहा
		त्योंथ	त्योंथ	उ0वि0 तिसियाही	760	पंचायत सचिव, त्योंथ
		बेनीपट्टी	बंनीपट्टी, बेहटा, कटैया, बनकट्टा	उ0वि0 बेनीपट्टी	850	पंचायत सचिव, बेनीपट्टी
2	बिस्फी	जगवन पू0	हिरोपट्टी	म0 वि0 हिरोपट्टी	1000	रा0कर्म0 सह अंचल निरीक्षक
		रथैस	शिवौल	उ0वि0 शिवौल	1000	रा0 कर्मचारी
		रघौली	रघौली	उ0वि0 रघौली	1000	रा0 कर्मचारी
		जगवन प0	माधोपुर	बाढ़ आश्रय स्थल	500	रा0 कर्मचारी
		बलहा	बैंगरा	बाढ़ आश्रय स्थल	500	रा0 कर्मचारी
		रथौस	रथौस	बाढ़ आश्रय स्थल	500	रा0 कर्मचारी
		बिस्फी	बिस्फी	पंचायत सरकार भवन बिस्फी	500	प्र0 रा0 कर्मचारी
3.	हरलाखी	उ0वि0 उमगॉव	उमगॉव	उ0वि0 उमगॉव	300	प्र0 प्रधानाध्यापक
		म0वि0 पिपरौन	पिपरौन	म0वि0 पिपरौन	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		म0वि0 फुलहर	फुलहर	म0वि0 फुलहर	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		म0वि0 सोनाई	सोनई	म0वि0 सोनाई	200	प्र0 प्रधानाध्यापिका
		प्र0वि0 बेता परसा	बेता परसा	प्र0वि0 बेता परसा	100	प्र0 प्रधानाध्यापक

	हरलाखी	पंचायत भवन कैआहा बरही	कौआहा बरही	पंचायत भवन कैआहा बरही	100	पंचायत सचिव
		प्र0वि0 सिसौनी	सिसौनी	प्र0वि0 सिसौनी	50	प्र0 प्रधानाध्यापक
		पंचायत भवन जीरौल	जिरौल	पंचायत भवन जीरौल	100	पंचायत सचिव
		उ0वि0 खिरहर	खिरहर	उ0वि0 खिरहर	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		उ0वि0 झिटकी	झिटकी	उ0वि0 झिटकी	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		पंचायत कलना	कलना	पंचायत कलना	100	पंचायत सचिव
		यू0एम0एच0 विशौल	विशौल	यू0एम0एच0 विशौल	300	प्र0 प्रधानाध्यापक
		म0वि0 हरलाखी	हरलाखी	म0वि0 हरलाखी	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		यू0एम0एच0 विद्यालय ऑफिस टोल हटवरिया	नहरनीयॉ	यू0एम0एच0 विद्यालय ऑफिस टोल हटवरिया	200	प्र0 प्रधानाध्यापक
		उ0वि0 गगौर	गंगौर	उ0वि0 गगौर	300	प्र0 प्रधानाध्यापक
		बुनियादी वि0 हिसार	हिसार	बुनियादी वि0 हिसार	100	प्र0 प्रधानाध्यापक
		पंचायत भवन करुणा	करुण	पंचायत भवन करुणा	100	पंचायत सचिव
4.	मधवापुर	मधवापुर		मधवापुर	70	पंचायत सचिव
		बासुकी बिहारी उत्तरी		बासुकी बिहार उत्तरी	55	पंचायत सचिव
		बासुकी बिहारी उत्तरी		बासुकी बिहारी दक्षिणी	65	पंचायत सचिव
		बासुकी बिहारी द0		बलवा	58	पंचायत सचिव
		बासुकी बिहारी द0		पिरोखर	60	पंचायत सचिव
		पिहवाड़ा		तरैया	55	पंचायत सचिव
		पिहवाड़ा		साहर उत्तरी	45	राजस्व कर्मचारी
		उत्तरा		साहर दक्षिणी	70	राजस्व कर्मचारी
		तरैया		मुखियापट्टी	40	राजस्व कर्मचारी
		सलेमपुर		सलेमपुर	40	पंचायत सचिव
		पिहवाड़ा		पिहवाड़ा	60	पंचायत सचिव
		उतरा		उतरा	45	राजस्व कर्मचारी
		विशनपुर		विशनपुर	70	तकनीकी सहायक
5.	जयनगर	जयनगर बस्ती	जयनगर बस्ती	+2 उच्च विद्यालय, जयनगर	1000	राजस्व कर्मचारी
		डोड़वार	डोड़वार	राजकीय कृत मध्य विद्यालय गोबराही	500	राजस्व कर्मचारी

		डोड़वार	डोड़वार	बाढ राहत भवन बगेवा टोल	500	पंचायत सचिव
		देवधा दक्षिणी	देवधा दक्षिणी	उच्च माध्यमिक विद्यालय इनरवा कचहरी टोल	800	पंचायत सचिव
		सेलरा	सेलरा	उ0वि0, सेलरा	1200	पंचायत सचिव
		बेलही पूर्वी	बेलही पूर्वी	म0वि0, कमलाबाढ़ी	1000	पंचायत सचिव
		बेलही पश्चिमी	बेलही पश्चिमी	उ0वि0, बेला	1000	पंचायत सचिव
6.	बासोपट्टी	खौना	खौना	मध्य विद्यालय, खौना	250	तकनीकी सहायक
		महिनाथपुर	महिनाथपुर	म0 वि0 दुहबी बाजार	250	तकनीकी सहायक
		छतौनी	सिमराढ़ी	उ0म0वि0 सिमराढ़ी	100	पंचायत सेवक
		कटैया	झिटकोहिया	उ0म0वि0 झिटकोहिया	100	लेखापाल
		बीरपुर	कौआहा	उ0म0वि0 कौआहा	500	कृषि समन्वयक
		घोड़बंकी	घोड़बंकी	म0वि0 घोड़बंकी	500	किसान सलाहकार
		सेलीबेली	सेलीबेली	उ0वि0 सेलीबेली	500	कृषि समन्वयक
		अरघावा	कमलपुर	मध्य विद्यालय, कमलपुर	250	कृषि समन्वयक
		मढिया	नरकटिया	उ0म0वि0 नरकटिया	300	पंचायत सेवक
		हत्थापुर परसा	मानापट्टी	उ0म0वि0 मानापट्टी	250	राजस्व कर्मचारी
		बासोपट्टी पूर्वी	बासोपट्टी पूर्वी	राम जानकी महाविद्यालय, बासोपट्टी	500	राजस्व कर्मचारी
		बासोपट्टी पश्चिमी	बासोपट्टी पश्चिमी	कन्या मध्य विद्यालय, बासोपट्टी	500	पंचायत सचिव
		फेंट	मनमोहन	उ0म0वि0 मनमोहन	300	लेखापाल
		डामू	चानन कसेरा	उ0म0वि0 चानन कसेरा	500	कनीय अभियंता
		सिरियापुर	गौसनगर	उच्च विद्यालय, गौसनगर	500	लेखापाल
7.	लदनियाँ	खोजा	खोजा	पंचायत सरकार भवन, खौजा	3000	राजस्व कर्मचारी
		महथा	लदनियॉ	सामुदायिक भवन, लदनियाँ	30000	राजस्व कर्मचारी
		कुमरखत पूर्वी	पथलगाढ़ा	म0वि0 पथलगाढ़ा	1500	राजस्व कर्मचारी
		पदमा	पदमा	श्रैन्ट्रे2 उ0वि0 पदमा	5000	प्रभारी अंचल निरिक्षक
		पदमा	पदमा	विशेष हरिकान्त म0वि0, पदमा	3000	प्रभारी अंचल निरिक्षक
		डलोखर	डलोखर	उच्च वि0 डलोखर	1500	राजस्व कर्मचारी
8.	झंझारपुर	झंझारपुर नगर पंचायत	झंझारपुर नगर पंचायत	किसान भवन, झंझारपुर	200	नगर पंचायत जे0ई0
		झंझारपुर नगर पंचायत	झंझारपुर नगर पंचायत	पार्वती लक्ष्मी कन्या महाविद्यालय	500	नगर पंचायत जे0ई0
		सिमरा	सिमरा	मध्यविद्यालय, सि0	1000	प्र0 शि0 पदा

		सिमर	गोधनपुर	प्रा0 वि0 गोधनपुर मल्हा टोल	800	प्र0 शि0 पदा
		चनौरागंज	मलिछाम	प्रा0 वि0 मलिछाम	500	प्र0 शि0 पदा
		चनौरागंज	चौरामहरैल	प्रा0 वि चौरामहरैल	500	प्र0 शि0 पदा
		चनौरागंज	ताजपुर	प्रा0 वि0 ताजपुर	500	प्र0 शि0 पदा
		संग्राम	अरड़िया संग्राम	मध्य विद्यालय अरड़िया संग्राम	1000	प्र0 शि0 पदा
		संग्राम	तुलापतगंज	मध्य विद्यालय तुलापतगंज	1000	रा0 कर्मचारी
		झंझारपुर नगर पंचायत	परतापुर	प्रा0 विद्यालय परतापुर	500	रा0 कर्मचारी
		नवानी	सिरखरिया	मध्य विद्यालय सिरखरिया	800	रा0 कर्मचारी
		पिपरौलिया	पिपरौलिया	मध्य विद्यालय विष्टौल	800	रा0 कर्मचारी
		संतनगर	संतनगर	मध्य विद्यालय संतनगर	800	रा0 कर्मचारी
		महिनाथपुर	महिनाथपुर	गौड़ी शंकर स्थान जमथर (दुर्गा स्थान)	500	रा0 कर्मचारी
		काको	नवानी	प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र काको	200	रा0 कर्मचारी
		नवानी	नवानी	पुस्तकालय भवन नवानी (पासी टोल के पास)	100	रा0 कर्मचारी
		रैयाम पश्चिमी	रैयाम	उत्क्रमित मध्य विद्यालय रैयाम	1000	रा0 कर्मचारी
		संतनगर	ईमादपट्टी	मध्य विद्यालय ईमादपट्टी	1000	रा0 कर्मचारी
		लोहना दक्षिण	सर्वसीमा	भवनाथ उच्च विद्यालय सर्वसीमा	1000	रा0 कर्मचारी
		काको	काको	बाढ़ शरण स्थल काको	200	रा0 कर्मचारी
		बलनी मेंहथ	बलनी मेंहथ	बाढ़ शरण स्थल बलनी मे0	50	रा0 कर्मचारी
9.	लखनौर	लखनौर पश्चिमी	बेलाही	बेलही बंध सूरक्षा केन्द्र	200	प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी
		लौफा	उमरी	उमरी बांध सूरक्षा केन्द्र	400	कृषि समनव्यक
		बलिया	बलिया	बलिया म0वि0 दूर्गास्थान	300	पंचायत सचिव
		लौफा	लौफा	बाढ़ आश्रय सलि उमरी लौफा	400	कृषि समनव्यक
		बेरमा	बेरमा	म0वि बेरमा दूर्गाथान	400	प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी
		दीप पूर्वी	कटमाखोर	म0वि0 कटमाखोर राम जानकी मंदीर के निकट	400	बी0टी0एम0 लखनौर
		दीप पश्चिमी	दीप	उच्च विद्यालय दीप	400	पंचायत सचिव
		वेहट उतरी एवं दक्षिण	बेहट	पंचायत सरकार भवन वेहट दक्षिण	400	प्रभारी अंचल निरीक्षक
		कैथिनियाँ	कैथिनियॉ	पंचायत सरकार भवन कैथिनियाँ	400	पंचायत सचिव
		गंगापुर	गंगापुर	प्राथमिक विधालय	200	पंचायत सचिव

				गंगापुर		
		मदनपुर	मदनपुर	पंचायत भवण एवं प्राथमिक विधालय मदनपुर	400	रोजगार सेवक
		तमोरिया	नेमुआ	मध्य विधालय नेमुआ	200	रोजगार सेवक
		कछुआ	कछुआ	आपदा भवण कछुआ	200	ग्रामिण आवास सहायक
		मैबी	मैवी	आपदा भवण मैबी	150	रोजगार सेवक
		तमुरिया	रमौली	कुंजो शांति उच्च विद्यालय रमौली	1100	शिक्षक
		लखनौर पूर्वी	रुपौली	धारावती उच्च विद्यालय लखनौर, (कोरो विशिष्ट आश्रत स्थल)	200	शिक्षक
		कछुवी	कछवी	मध्य विधालय कछुवी	200	रोजगार सेवक
		बेलौचा	रामचन्द्रा	उ0म0वि0 पूरे रामचन्द्रा, बंलौचा	300	किसान सलाकार
10	मधेपुर	भेजा	भेजा	उ0वि0, भेजा	1000	राजस्व कर्मचारी
		महासिंह हसौली	महासिंह हसौली	मलाही मुशहरी महासिंह हसौली में बाढ़ आश्रय स्थल	250	राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक मधेपुर
		भरगामा	भरगामा	बाढ़ आश्रय स्थल भरगामा/पश्चिमी कोषी तटबंध	300	राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक मधेपुर
		गढ़गाँव	गढ़गाँव	गढ़गॉव टीला	200	राजस्व कर्मचारी
		बसीपट्टी	बसीपट्टी	उच्च विद्यालय बसीपट्टी	1100	राजस्व कर्मचारी
			बसीपट्टी	भगता टीला बसीपट्टी चौक	150	राजस्व कर्मचारी
			बरियरवा	उच्च विद्यालय, बरियरवा	800	राजस्व कर्मचारी
		डारह	चटमा	उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चटनमा	500	राजस्व कर्मचारी
		बकुआ	बकुआ	उ0विद्यालय, बकुआ	1000	राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक मधेपुर
		बकुआ	राधिकापुर	मध्य विद्यालय राधिकापुर	500	राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक मधेपुर
		भरगामा	टेंगराहा	उच्च विद्यालय भरगामा (टेंगराहा)	1000	राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक मधेपुर
		द्वालख	बाराराही	उ0म0विद्यालय, बाराराही	500	राजस्व कर्मचारी
		महपतिया	महपतिया	मकतब महपतिया	300	राजस्व कर्मचारी
			लिलजा	प्राथमिक विद्यालय लिलजा	200	राजस्व कर्मचारी
		तरडीहा	बोचही	प्रा0वि0 पंचमनियॉ/प्रा0वि0 बोचही	300	राजस्व कर्मचारी

		मटरस	मटरस	मटरस चौक कोशी बांध	400	राजस्व कर्मचारी
		मटरस	मुजौलिया	मुजौलिया कोशी बांध	400	राजस्व कर्मचारी
		करहारा	करहारा	उत्क्रमिक मध्य विद्यालय करहारा	400	राजस्व कर्मचारी
			करहारा	पंचायत सरकार भवन, करहारा	200	राजस्व कर्मचारी
			करहारा	प्राथमिक विद्यालय करहारा	200	राजस्व कर्मचारी
11	अंधराठाढ़ी	रखवारी	रखवारी	म0वि0 रखवारी	350	बी0टी0एम0
				संस्कृत म0वि0 रखवारी	200	अमीन
		देवहार	देवहार	उ0वि0 देवहार	300	कृषि समन्वयक
				पंचायत भवन देवहार	200	पंचायत सचिव
		हरणा	गधराईन	म0वि0 गंधराईन	600	पंचायत सचिव
				रानी कम्प्लेक्स गंधराईन (निजी)	500	
		शिवा	घोघरिया	म0वि0 घोघररिया	300	कृषि समन्वयक
			मंगरौना	म0वि0 मंगरौना	300	स0 तकनीकी प्रबंधक
		हरड़ी	हरडी	म0वि0 हरड़ी	350	प्र0 अंचल निरीक्षक,
			भभाम	म0वि0 भभाम	300	कृषि समन्वयक
		अंधराठाढ़ी दक्षिण	अंधराठाडी	म0रा0गि0 उ0वि0, अंधराठाढ़ी	300	कृषि समनव्यक
		कर्णपुर	कर्णपुर	म0वि0 कर्णपुर	300	रा0 कर्मचारी
12	फुलपरास	रामनगर	बाढ़शेड, गोरगामा	बाढ़ शेड, गोरगामा	50	प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी
		फुलपरास	बाढ़शेड, फुलपरास	बाढ़ शेड, फुलपरास	50	राजस्व अधिकारी
		महथौर खुर्द	सामुदायिक भवन, महथौर	सामुदायिक भवन, धत्ताटोल	50	प्रभारी अंचल निरीक्षक, फुलपरास
13	खुटौना	परसाही पश्चिमी	परसाही	ईश्वरी भगत उच्च विधालय	400	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		परसाही पश्चिमी	परसाही	प्राथमिक विधालय परसाही	150	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		परसाही पश्चिमी	पुराना टोल	प्रा0 वि0 खुशियालपट्टी पुराना टोल	200	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		परसाही पूर्वी	जटही	प्रा0 वि0 जटही	150	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		परसाही पूर्वी	नवटौल टेंगरार	प्रा0 वि0 नवटोल टेंगरार	275	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		परसाही पूर्वी	बलानपट्टी टेंगरार	प्रा0 वि0 बलानपट्टी टेंगरार	500	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		चतर्भुज पिपराही	चतर्भुज पिपराही	पंचायत सरकार भवन चतुर्भुज पिपराही	500	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		चतर्भुज	झझरी	राजकीय मध्य	300	पंचायत रोजगार सेवक

		पिपराही		विधालय झझरी		किसान सलाहकार
		चतर्भुज पिपराही	जटही	प्रा0 वि0 मखनाही पोखर जटही	200	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		झाझपट्टी आशा	बलानपट्टी बरामोत्तर	प्रा0 वि0 बलानपट्टी	250	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		झाझपट्टी आशा	भजनाहा	प्रा0 वि0 भजनाहा	200	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		झाझपट्टी आशा	एकम्मा	मध्य0 वि0 एकम्मा	450	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		वासुदेवपुर	बटेरमारी	प्रा0 वि0 बटेरमारी	200	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		वासुदेवपुर	विशनपुर	प्रा0 वि0 विशनपुर	250	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		मझौरा	मझौरा	पंचायत सरकार भवन मझौरा	600	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		मझौरा	मझौरा	प्रा0 वि0 बन्दरझुली	150	पंचायत रोजगार सेवक
						किसान सलाहकार
		लौकहा	मझौरा	प्रा0 वि0 बलानपट्टी	500	प्रभारी तकनीकी सहायक
						किसान सलाहकार
14	घोघरडीहा	छजना	भपटियाही	भपटियाही दुर्गा स्थान म० वि० भपटियाही	210	पंचायत सचिप
		अमही	मैनही	मैनाही चौक मंदिर पूल के पास शरण स्थल	230	प्रखण्ड समन्वयक
		बसुआरी	बसुआरी	परसा हॉल्ट चौक (मध्य वि0 बसुआरी)	160	कनिय अभियंता
		परसा दक्षिण	परसा	धवहा परती म० वि० परसा	230	राजस्व कर्मचारी
		नौआबाखर	ब्रहमपुरा	हटनी दुर्गा स्थान	230	आवास सहायक
		सरौती	सरौती	उच्च वि0 सरौती	100	पंचायत सचिव
		ब्रहमपुरा बथनाहा	ब्रहमपुरा	मध्य वि0 ब्रहमपुरा	200	एल0एस1
15	लौकही	नरेन्द्रपुर	नरेन्द्रपुर	कोशी तटबंध, नरेन्दपुर चौक यात्री शेड के निकट	250	पंचायत सचिव
		नरेन्द्रपुर	मैनही	उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैनही	100	प्रधानाध्यापक
		महादेवमठ	महादेवमठ	कोशी तटबंध पुराना थाना के निकट पूर्वी भाग से	200	पंचायत तकनीकी सहायक
		जिरोगा	छिटही	प्रा0 वि0 जिरोगा टोले छिटही	50	प्रधानाध्यापक
		धरहारा	धरहारा	कोशी तटबंध, धरहारा चौक से समीप	100	किसान सलाहकार,

		धनछिहा	हरियाही	एन0 एच0 57, हरियाही पेट्रोल पम्प के निकट	175	पंचायत रोजगार सेवक
		धनछिहा	रजौड़ा महथौड़	प्रा0 वि0 रजौड़ा महथौड़ा	100	प्रधानाध्यापक
		धनछिहा	नेमुआ चौक	कोशी तटबंध, नेमुआ चौक	400	राजस्व कर्मचारी
		बरूआर	बरूआर	उच्च विद्यालय, बरूआर	150	सहायक शिक्षक
		बरूआर	बरूआर	प्राथमिक विद्यालय बघुआ	75	प्रधानाध्यापक
		बरूआर	अमचिरी चौक	कोशी तटबंधन, अमचिरी चौक	150	पंचायत रोजगार सेवक
		अटरी	अटरी	पंचायत सरकार भवन, अटरी	100	पंचायत रोजागार सेवक
		करियौत	करियौत	उच्च विद्यालय, करियौत	100	पंचायत रोजगार सेवक
		कुकुरदौड़ा	दुधैला	म0वि0 दुधैला	100	पंचायत रोजगार सेवक
		मनसापुर	बलुआ	मध्य विद्यालय, बलुआ	100	प्रधानाध्यापक
		नरहिया दक्षिणी	नरहिया	उच्च विद्यालय, नरहिया	250	श्री विरेन्द झा पंचायत रोजगार सेवक मो0 9006625786
		नरहिया उतरी	सोहपुर	कन्या मध्य विद्यालय सोहपुर सी0आर0सी0	100	पंचायत रोजगार सेवक
		बनगामा दक्षिणी	भूतही चौक	एन. एच. 57 भूतहा चौक	300	पंचायत तकनीकी सहायक
		बनगामा दक्षिणी	पिपराही	रिंगबाध भूतहा, पिपराही	100	कनीय अभियंता, मनरेगा
		बनगामा दक्षिणी	नवटोली	एन. एच. 57 नवटोली	225	पंचायत सचिव
		बनगामा उतरी	हिरपट्टी	प्राथमिक विद्यालय, हिरपट्टी	75	प्रधानाध्यापक
		बनगामा उतरी	औरहा	मध्य विद्यालय, औरहा	100	प्रधानाध्यापक
		बनगामा उतरी	झिटकी	मध्य विद्यालय, झिटकी, बनगामा	200	सी0आर0सी0
16	बाबुबरही	छौरही		पंचायत भवन छौरही	170	राजस्व कर्मचारी
		तिरहुता	तिरहुआ	बाढ़ राहत केन्द्र तिरहुता	100	अंचल अमीन
		महेश्वारा	बेला	पंचायत सरकार भवन महेश्वारा	250	पंचायत सचिव
		घंघौर	बकसाही	उच्च विद्यालय घंघौर	352	पंचायत सचिव
		मुरहदी	माठ खुदरखला	बाढ़ राहत केन्द्र छोटकी टोल मुरहदी	100	राजस्व कर्मचारी
		बाबूबरही	बाबूबरही	जगदीश नन्दन +2 उच्च विद्यालय	400	राजस्व कर्मचारी
		सतघारा	सतघारा	बी0एस0एन0एल0 महाविद्यालय सतघारा	250	पंचायत सचिव
		भटचौरा		मध्य विद्यालय बरूआर	150	पंचायत सचिव

17	खजौली	चन्द्रडीह	चन्द्रडीह	मध्य विद्यालय चन्द्रडीह	100	अ0नि0
		चतरा गो0 दक्षिण	चतरा	उ0 मध्य विद्यालय चतरा	100	पंचायत सचिव
		चतरा दक्षिण	कुशमार	उ0म0 विद्यालय चतरा	200	किसान सलाहकार
		चतरा उत्तर	चतरा	उ0म0 विद्यलय चतरा	200	किसान सलाहकार
		चतरा उत्तर	मरुकिया	मध्य विद्यालय मरूकिया	200	अ0नि0
		चतरा उत्तर	चतरा	बाढ़ राहत सेड चतरा उत्तर	100	अ0नि0
		भकुआ	मरार	उ0म0 विद्यालय मरार	200	राजस्व कर्मचारी
		भकुआ	मरार	उ0वि0 कस्मा मरार	300	राजस्व कर्मचारी
		भकुआ	भकुआ	उ0म0 विद्यालय भकुआ	100	कृषि समन्वयक
		भकुआ	कस्मा	उ0म0 विद्यालय कस्मा	200	कृषि समन्वयक
		भकुआ	ढोलबज्जा	उ0म0 विद्यालय ढोलबज्जा	200	किसान सलाहकार
		भकुआ	मरार	प्राथमिक विद्यालय मरार	100	किसान सलाहकार
		भकुआ	भकुआ	बाढ़ राहत सेड भकुआ	100	राजस्व कर्मचारी
18	राजनगर	सुगौना उत्तर		मध्य विद्यालय भगवानपुर	2000	राजस्व कर्मचारी
		सुगौना दक्षिण		मध्य विद्यालय वकुआर	1000	राजस्व कर्मचारी
	पंडौल	भगवतीपुर		विशेश्वर उच्च विद्यालय, नाहर,	1000	प्रखण्ड सांखिकी पदाधिकारी
		विरौल		उ0उच्च0 विद्यालय विरौल	1000	प्रखण्ड सांखिकी पदाधिकारी
	कलुआही	मलमल उत्तरी	बलुआ टोल	मध्य विद्यालय बलुआ टोल मलमल उत्तर	200	राजस्व कम्रचारी
		मलमल उत्तरी	राढ़	मध्य विद्यालय राढ़	100	राजस्व कर्मचारी
		मलमल दक्षिणी	मलमल दक्षिणी	सफा गर्ल्स उच्च विद्यालय, मलमल	200	राजस्व कर्मचारी
	रहिका	छपस	छपस	छपस	0	छपस

अंचलों में उपलब्ध सरकारी नाव/निजी नाव/मोटरवोट/लाईफ जैकेट

क्र0	अंचल का नाम	सरकारी नाव						निजी नाव						अभियुक्ति
		बड़ी नाव	मझौला नाव	छोटी नाव	कुल नाव	मरम्मति योग्य	परिचालन योग्य	बड़ी नाव	मझौली नाव	छोटी नाव	कुल नाव	निबंधित नाव	एकरारित नाव	
1	मधेपुर	0	90	0	90	0	86	5	6	0	11	11	0	4 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है।
2	मधवापुर	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	3	3	
3	बेनीपटटी	0	22	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	
4	विस्फी	0	32	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	
5	खजौली	2	2	0	4	0	1	1	0	0	1	0	0	3 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
6	घोघरडीहा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
7	अन्धराठाढ़ी	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	
8	हरलाखी	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
9	झंझारपुर	0	1	1	2	0	2	1	0	0	1	1	1	
10	लखनौर	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
11	बासोपटटी	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
12	बाबूबरही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	जयनगर	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
14	लदनियॉ	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
15	फुलपरास	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2 नाव पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
16	खुटौना	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
17	लौकही	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
18	कलुआही	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
19	पण्डौल	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
20	राजनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	रहिका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुलः–		**2**	**167**	**5**	**174**	**0**	**158**	**7**	**12**	**0**	**19**	**15**	**4**	**16**

पशु शरण स्थलों की सूची

क्र0	अनुमंडल/प्रखंड का नाम	प्रखंड स्तरीय बाढ़/सुखाड़ सहायय् केन्द्रों का नाम (ऊँचा स्थल)
1	रहिका	1. कनैल 2. भिट्टी
2	पंडौल	1. भगवतीपुर 2. सरिसरपाही
3	खजौली	1. चतरा 2. तुलसीपट्टी
4	कलुआही	1. मलमल
5	राजनगर	1. रामपट्टी 2. भटसीमर
6	बाबूबरही	1. भटगामा 2 .छोरही
7	बेनीपट्टी अनुमंडल/बेनीपट्टी	1. उच्चैठ 2. बसैठ
8	हरलाखी	1. करूणा 2. बोरहर
9	विस्फी	1. सिंधिया 2. रथौस
10	मधवापुर	1. साहरघाट 2. विशनपुर
11	जयनगर अनुमंडल/जयनगर	1. बेला बॉध (बेलही द0) 2. डोरवार
12	लदनियॉ	1. तेनुआही
13	बासोपट्टी	1. छतौनी 2. नरकटिया
14	झंझारपुर अनुमंडल/ झंझारपुर	1. समिया ढ़ाला 2. पैटघाट
15	लखनौर	1. नवटोल 2. बेलही
16	मधेपुर	1. तरडीहा 2. बसीपट्टी
17	अंधराठाढ़ी	1. गंधराईन 2. रखबारी
18	फुलपरास अनुमंडल/फलपरास	1. गुड़गामा (रामनगर) 2. फलकाही (महथौर)
19	घोघरडीहा	1. हटनी (नौआबाखर) 2. चिकना
20	खुटौना	1. एकम्मा (झाझपट्टी आशा) 2. परसाही पू0 (खुशहालपट्टी)
21	लौकही	1. नेमुआ 2. भूतहा
22	नगर परिषद, मधुबनी	1. गौशाला, मधुबनी

पंचायतवार गोताखोर का विवरण				
क्र0	अचंल का नाम	पंचायत का नाम	गोताखोर का नाम	मोबाईल नं0
1	बेनीपट्टी	करहारा (सोहरौल)	श्री अरूण कुमार राम	9472964407
		बेनीपट्टी	श्री भोगेन्द्र यादव	7050380174
		सोहरौल	कमलेश कुमार दास	7979753251
		समदा	अशोक कुमार यादव	6299551372
		मेघवन	नीरज राम	9430294604
2	बिस्फी	रथौस	शम्भु सहनी, पिता–सोगारथ सहनी, ग्राम–रथौस घाट	9934548097
		रथौस	सत्येन्द्र सहनी, पिता–शितल सहनी, ग्राम–रथौस घाट	7352314402
		जगवन पूर्वी	विनोद सहनी, पिता–विष्णुदेव सहनी, ग्राम–कटैया	8084029831
		जगवन पूर्वी	सहदेव सदा, पिता–जगदीश सदा, ग्राम–छौरहिया	7870154579
		जगवन पूर्वी	रामप्रित पासवान, पिता–सोगारथ पासवान, ग्राम–बरदाहा	9801799251
		जगवन पूर्वी	कैलाश सहनी, पिता–शिवजी सहनी, ग्राम–दमला घाट	9430296035
3	हरलाखी	कौआहा बरही	राजेश पासवान	8987070882
		कौआहा बरही	विनोद पासवान	8292611134
		सिसौनी	संतोष पासवान	8271400186
		झिटकी	विशेसर पासवान	8757489285
		कलना	राम सुकुल पासवान	7632859371
		नहरनियॉ	विष्णुदेव पासवान	9341518136
4	मधवापुर	पिहवारा	शंकर राम	8521465589
		साहर उ०	राजेश कुमार महतो	9939964630
		बलबा	गणेश राम	7970915580
		बलबा	संजय कुमार	7033881887
		बलबा	सुनील कुमार	8578087134
		साहर उ०	शंभु कुमार	9955858497
		साहर घाट	संजीव कुमार भारती	7250081879
		पिरोखर	बिरेन्द्र सहनी	8969293071
		पिरोखर	राकेश सहनी	9905665003
		पिरोखर	फेकु सहनी	7434996603
5	जयनगर	बेलही प0	श्री दिलीप पासवान	8873941109
		बेलही द0	श्री शंकर प्रसाद सुमन	7870590052
		दुल्लीपट्टी	श्री श्याम कुमार राम	7257920482
		बेलही पूर्वी	श्री उमेश महरा	7810639440
		डोड़वार	श्री सुशील पासवान	8002902307
		बेलही पूर्वी	श्री दिपेश कुमार महरा	8877777510
		सेलरा	श्री अरविन्द कु0 पासवान	
		बेलही पश्चिमी	श्री रंजन कुमार	9534752659
		सेलरा	श्री शिव कु0 पासवान	8873802572
		सेलरा	श्री विनोद कु0 यादव	7091386360

		सेलरा	श्री रविन्द्र पासवान	8809180378
		सेलरा	श्री दिनेश पासवान	9708028116
6	बासोपट्टी	बासोपट्टी पश्चिमी	विनोद सहनी	6201310281
			राम वृक्ष सहनी	8002347170
			रामलखन सहनी	8434394534
			रामचन्द्र सहनी	9608464490
			रोहित सहनी	6207119286
			सुरेश सहनी	9507149995
7	लदनियाँ	महथा	भीम कुमार यादव	8544112797
		कुमरखत पश्चिमी	मदन कुमार पासवान	9973439698
		पदमा	प्रमोद कुमार महरा	7050548793
		पिपराही	मांगन साह	9572354733
		लक्ष्मिनियाँ	बलराम पासवान	906357974
		कुमरखत पूर्वी	प्रभु महरा	9939980910
		सिधपा	सतीश पंडित	8084585731
		खोजा	मुकेश पासवान	8809056101
		सिधपकला	अमरजीत ठाकुर	9801682477
		बेलाही	राजलाल कामत	9155965869
		गिधवासा	बच्चेलाल मंडल	8521906827
		इलोखर	राम सुन्दर राम	9060596155
		पथराही	सत्यनारायण मंडल	859958634
		एकहरी	सुधीर कुमार कामत	9955826739
		गजहरा	मारकंडेय मंडल	9546995994
8	झंझारपुर	कोठिया	रामपुकार राय	6200175274
		कोठिया	राजेन्द्र कुमार भारती	8674903461
		कोठिया	अनिल राम	9771861490
		लखनौर	माधवेन्द्र कुमार	8298623740
		तमुरिया	ओमप्रकाश राम	8298552138
		संतनगर	विनोद मंडल	9771553131
		सुखेत	सरोज कुमार	9006064799
		सुखेत	अभिमन्यु राम	8877531852
		रैयाम	आजाद दीपक	88777466887
		फुलपरास	रूणा देवी	9631546139
		संतनगर	फुलदेव यादव	7295066386
		संतनगर	अनिल कुमार यादव	9082531861
		संतनगर	राजु कुमार यादव	9661218403
		संतनगर	श्याम नाथ यादव	9810614115
		संतनगर	मोहन झा	9771861490
9	लखनौर	कछुवी	श्री नितेश कुमार शर्मा	8877993726
		कछुवी	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	8298675536
		कछुवी	श्री जगदीश कुमार ठाकुर	9570265365
		कछुवी	श्री अजीत कुमार सर्मा	7982023117
		कछुवी	श्री नितु पासवान	–
10	मधेपुर	महासिंह हसौली	सुशिल कुमार कामत	7549964937
		महासिंह हसौली	बसंत कुमार चौधरी	99344609268
		भगवानपुर	अनिल कुमार चौधरी	9905412068
		महपतिया	दशरथ चौपाल	8292703780
		बरसाम	रमेश पासवान	9631221031

		महासिंह हसौली	तेजनारायण यादव	9198898318
		भगवानपुर	सुभाष महतो	9111286865
		तरडीहा	बाबू लाल टूडू	9661067293
		तरडीहा	प्रभात कुमार वाषिक	9570887133
		परवलपुर	रामदेव चौपाल	7545024494
		परवलपुर	पंचू मुखिया	8877227585
		भरगामा	सीताराम मुखिया	9546935793
		परवलपुर	पवन मुखिया	7549588542
		बकुआ	संतोष मुखिया	9801057304
		भरगामा	संजीव ठाकुर	9162793710
		पचही	सुमन मुखिया	
		द्वालख	शिव सदाय	9162285676
		द्वालख	परमेश सदाय	8252856765
		बकुआ	शशिभूषण राम	8877435415
		भगवानपुर	शुशिल कुमार कामत	9709609578
		भगवानपुर	बसंत कुमार चौधरी	8051819070
		भगवानपुर	अनिल कुमार चौधरी	9905412068
		महपतिया	ंदसरथ चौपाल	8292703780
		प्रसाद	मनोज सदाय	
		परवलपुर	नागेश्वर सदाय	8226851529
		प्रसाद	लक्ष्मी सदाय	
		तरडीहा	संतोष कुमार साफी	
		बसीपटटी	विनदेश्वर चौपाल	
		करहारा	राम शरण पासवान	
		बरसाम	रमेश पासवान	
		महिसाम	संतोष कुमार पासवान	
		महासिंह हसौली	तेजनारायण यादव	7549735747
		भगवानपुर	सुभाष महतो	9199286865
		प्रसाद	हीरा लाल सदाय	
		तरडीहा	बाबू लाल टूडू	
		तरडीहा	प्रभात कुमार वाषिक	
		महासिंह हसौली	भोलन सदाय	8757356033
		बसीपटटी	हरेराम राम	
		बसीपटटी	जीवछ राम	
		रहुआ संग्राम	विनोद सदाय	
		महपतिया	विध्यानंद चौपाल	9507945352
11	अंधराठाढ़ी	हरणा	लक्ष्मी महतो	9199221854
			प्रदीप यादव	9572155843
		शिवा	दिनेश यादव	8809085045
			शिवचन्द्र यादव	8294574549
		रखवारी	श्याम सुन्दर यादव	9801063448
			टुन्नीलाल महतो	9264273413
		देवहार	अरूण कुमार यादव	9973048098
			कमलदेव यादव	8757138931
		हरड़ी	लक्ष्मी यादव	8002162311
12	फुलपरास	रामनगर	राजेन्द्र चौधरी, ग्राम– सुड़ियाही	8051779894
		रामनगर	नरेन्द्र यादव, ग्राम– रामनगर	9771399066
		फुलपरास	बैद्यनाथ बैजू, ग्राम– फुलपरास	8051923587

		फुलपरास	प्रभाष कुमार, ग्राम– फुलपरास	7739513379
		बथनाहा	रूधेश पासवान, ग्राम– बथनाहा	7761762589
		फुलपरास	विजय कुमार, ग्राम– फुलपरास	7549454458
		फुलपरास	दीनबन्धु दिवाकर,ग्राम– फुलपरास	8051817774
		फुलपरास	मनोज कुमार, ग्राम– फुलपरास	8862949076
		फुलपरास	बद्री पासवान, ग्राम– फुलपरास	829887051
		फुलपरास	रामचन्द्र रमण, ग्राम– फुलपरास	8051817749
		सिसवाबरही	रूना देवी, ग्राम– मुरली	7654795250
		सिसवाबरही	रामदेव पासवान, ग्राम–सिसवा बरही	8051873512
		सिसवाबरही	राम नारायण राम, ग्राम– सिसवा बरही	9709667845
		फुलपरास	दुर्गानंद ठाकुर, ग्राम– फुलपरास	9801898116
		फुलपरास	नरेन्द्र तिवारी, ग्राम– फुलपरास	9546111426
		रामनगर	दिनेश पासवान, ग्राम– बलुआ	9546919329
		धनौजा	दिनेश कुमार यादव, ग्राम– बहुअरवा	7654669601
13	खुटौना	झाझपट्टी आशा	अरुण कुमार साहू	
		मझौरा	ललित कुमार गुप्ता	7260666349
		चतर्भुज पिपराही	मंच लाल प्रसाद	9939984322
		परसाही पूर्वी	दिनेश कुमार साह	9939984322
		परसाही पश्चिमी	रामानन्द बनैता	9934704084
		परसाही पश्चिमी	राज धर यादव	8292233374
14	घोघरडीहा	0	0	0
15	लौकही	बरूआर	कमल मुखिया	9631065994
			लाल बहादुर मुखिया	7050797719
			नारायाण मुखिया	8084378550
			विजल मुखिया	7720923059
		धनछिहा	गुलट मुखिया	8969716832
			भगवानी मुखिया	8521519554
			आशीष मुखिया	8084727221
			रामेश्वर मुखिया	620335970
			देविन मुखिया	7563007603
			जितेन्द्र मुखिया	7070538998
			श्रवण मुखिया	6203623477
			मुकेश मुखिया	8102689493
			विद्यानन्द मुखिया	7632909775
			राधेश्याम मुखिया	9306839670
		नरहिया उतरी	मो0 नियाजुल	7667691321
16	बाबुबरही	सतघारा	डॉ0 रामाकांत मिश्रा	9973969385
		तिरहुता	सचिन कुमार दास	7858809035
		महेशवारा	प्रमोद कुमार मिश्रा	6205152921
		घंघौर	विजय कुमार यादव	9472231860
		भटचौरा	मिथिलेश कुमार मिश्रा	9818552398
		बाबूबरही	लक्ष्मन कुमार	9631362757
17	खजौली	भकुआ	रामलाल सहनी	9304134387
		भकुआ	ओपीन सहनी	9304134387
		भकुआ	दसैंय सहनी	9304134387
		भकुआ	झब्बू सहनी	9304134387
		भकुआ	नथुनी सहनी	9304134387
18	राजनगर	सुगौना उत्तरी	रामाकांत मिश्र	9973969385

		सुगौना उत्तरी	अशोक कुमार राम	9574366838
		सुगौना उत्तरी	मिथिलेश कुमार	9818552398
		सुगौना दक्षिण	सोनु कुमार राम	9570981222
		सुगौना दक्षिण	प्रकाश झा	9525044956
		सुगौना दक्षिण	विजय कुमार यादव	9472231860
19	पण्डौल	उदयपुर बिठूआर	सियाराम चौपाल	—
		सागरपुर	संतोष कुमार राम	—
		भौर	संतोष कुमार राम	—
		पंडौल मध्य	रंजीत कुमार पासवान	9905791165
		पंडौल पूर्वी	लक्ष्मी राम	छपस
		सागरपुर	नन्दकिशोर राम	9955227142
		सागरपुर	विनोद राम	छपस
		श्रीपुरहाटी उत्तरी	सुरेन्द्र कुमार	छपस
		श्रीपुरहाटी उत्तरी	जितेन्द्र कुमार	छपस
20	कलुआही	लोहा	भरत कामत	9708715712
		हरिपुर द0	कपिल कुमार	8758944962
21	रहिका	0	0	0

3.2.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- एस0डी0आर0एफ0 की टीम मधेपुर अंचल में स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त है इसके अलावा दरभंगा में एन0डी0आर0एफ0 टीम प्रतिनियुक्त है। जिसे दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी का प्रभार सौपा गया है।
- एडी0आर0एफ0 टीम द्वारा प्रभावित प्रखंडो में 01 जून से 07 जून, 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजित किया जाता है।
- एस0डी0आर0एफ0 के इस टीम के पास आपदा से निपटने हेतु निम्न संसाधन उपलब्ध है :–
  1. इन्फ्लैटेबल मोटरवोट की संख्या – 06
  2. लाईफ जैकेट संख्या – 60
  3. लाइफबॉय की संख्या – 12
  4. फस्ट ऐड का सामग्री
  5. बड़ी वाहन – 1
- बाढ़ प्रबंधन हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया जाता है।

○ **प्रशिक्षित मानव संसाधन**

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से समय–समय पर गोताखोर, कुशल तैराक एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

○ **जागरूकता कार्यक्रम**

- प्रतिवर्ष 01 से 07 जून के बीच बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान जिला भर में जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा होर्डिग, समाचार पत्रों में बाढ़ से बचाव के उपायो का प्रकाशन, रैली, पेंटिग प्रतियोगिता एवं मॉक ड्रिल आदि विशेष रूप से आयोजित किये जाते है।
- विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत् बच्चों को एवं NDRF/SDRF/Fire Services के माध्यम से जनमानस में जागरूकता पैदा किया जाता है।

3.2.2 भूकम्प

मधुबनी जिला भूकम्पीय जोन V में अवस्थित है। भारत–नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण भूकम्प से यह जिला अति संवंदनशील रहा है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि एवं भूकम्परोधी भवनों के निर्माण में तकनीकी ज्ञान (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों) में कमी के कारण खतरे की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जैसा कि भूकम्पों में देखा गया है कि भूकम्प में जानमाल की क्षति होने के कई कारक हैं जैसे कि -

- **भूकम्प आने का समय**
- **निर्माण का प्रकार**
- **मकान के छत का प्रकार**

3.2.2.1 जिला में क्षति का अनुमान : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा प्रकाशित रिर्पोट के अनुसार 1934 के भूकम्प की तीव्रता की काल्पनिक पुनरावृत्ति के तहत जिला में क्षति का अनुमान निम्न प्रकार है :–

District (Seismic Zone IV)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages			
	nA(H)	nB(M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives		Re-construction	Repairing
											Unfavorable	Favorable		
Madhubani	**122,983**	**468,902**	**4,520**	**5,615**	**466,275**	**1,068,295**	**108,382**	**266,210**	**223,374**	**4,054**	**16,041**	**4,973**	**374,592**	**227,428**
Madhwapur	3,919	15,699	176	176	13,211	**33,181**	3,529	8,864	7,435	141	528	164	12,394	7,576
Harlakhi	4,798	19,705	156	184	18,219	**43,062**	4,370	11,086	9,252	136	656	203	15,456	9,388
Basopatti	2,554	15,844	280	331	19,206	**38,215**	2,861	8,622	7,282	244	467	145	11,483	7,526
Jainagar	2,356	21,411	583	288	19,349	**43,987**	3,319	11,382	9,589	348	579	179	14,701	9,937
Ladania	7,640	14,919	95	220	15,471	**38,345**	5,312	9,401	8,035	126	687	213	14,713	8,161
Laukaha	6,569	19,209	250	201	19,661	**45,890**	5,205	11,292	9,551	180	730	226	16,497	9,732
Laukahi	12,657	12,074	76	207	24,792	**49,806**	7,536	9,230	8,135	113	864	268	16,765	8,249
Phulparas	6,048	13,179	77	105	20,005	**39,414**	4,342	8,120	6,875	73	574	178	12,462	6,947
Babubarhi	8,708	23,170	128	245	18,126	**50,377**	6,671	13,799	11,632	149	917	284	20,470	11,781
Khajauli	1,911	15,045	269	162	14,947	**32,334**	2,460	8,043	6,711	172	418	130	10,503	6,884
Kaluahi	2,658	13,304	84	139	10,373	**26,558**	2,659	7,339	6,098	89	415	129	9,998	6,187
Benipatti	6,923	40,224	570	477	36,031	**84,225**	7,484	21,947	18,344	419	1,204	373	29,431	18,763
Bisfi	7,298	38,868	448	505	29,170	**76,289**	7,536	21,354	17,848	381	1,192	370	28,890	18,229
Madhubani	6,673	42,317	275	324	25,012	**74,601**	7,568	22,887	18,895	240	1,237	383	30,455	19,134
Pandaul	10,413	35,058	275	591	21,925	**68,262**	8,712	20,219	17,059	346	1,257	390	28,931	17,406
Rajnagar	6,771	31,105	173	260	23,740	**62,049**	6,496	17,289	14,351	173	998	309	23,785	14,524
Andhratharhi	5,867	21,459	155	233	18,575	**46,289**	5,079	12,235	10,244	155	745	231	17,314	10,400
Jhanjharpur	6,859	21,873	82	311	21,930	**51,055**	5,617	12,691	10,660	157	801	248	18,307	10,818
Ghoghardiha	4,908	14,511	45	210	28,277	**47,951**	3,905	8,508	7,159	102	549	170	12,413	7,261
Lakhnaur	4,438	19,452	182	202	20,980	**45,254**	4,164	10,874	9,082	154	634	196	15,038	9,236
Madhepur	3,015	20,476	141	244	47,275	**71,151**	3,555	11,030	9,137	154	589	182	14,585	9,291

Type-**A:** Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
Type-**B:** Burnt Brick
Type-**C1:** Wood
Type-**C2:** Concrete
Type-**X:** Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.

Damage grades : Classification of Damage to Buildings

- **G5** : Grade 5 - *Total damage (*Total collapse of the buildings)
- **G4:** Grade 4 - *Destruction (*Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
- **G3** : Grade 3 - *Heavy damage (*Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
- **G2** : Grade 2 - *Moderate damage (*Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
- **G1** : Grade 1 - *Slight damage (*Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)

Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna

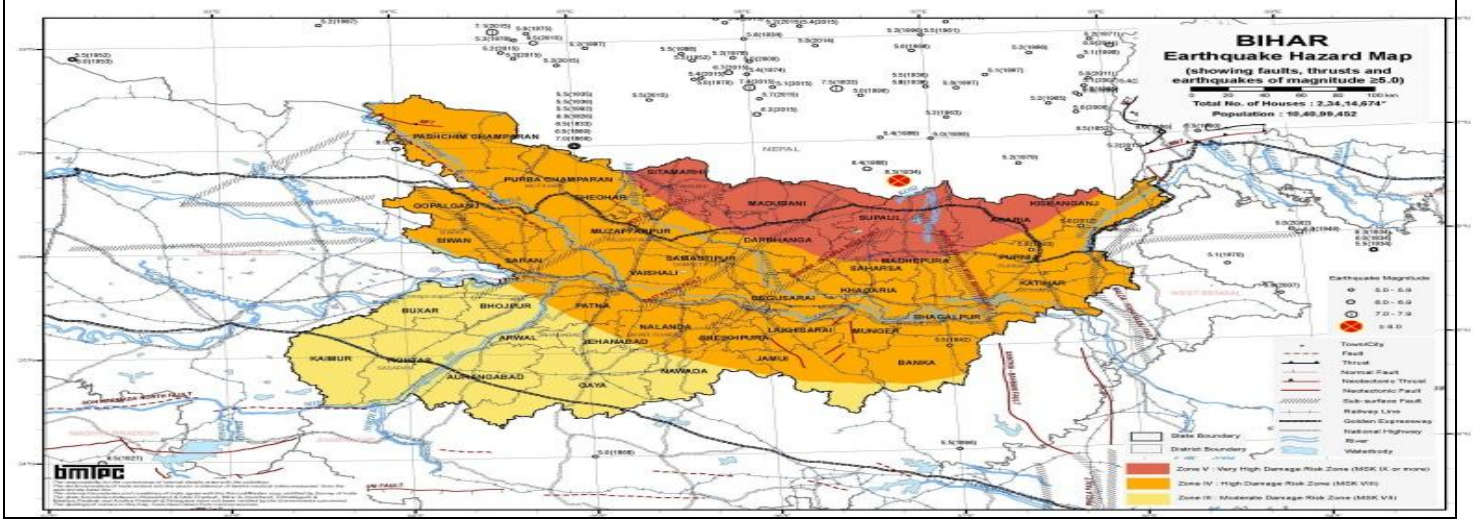

3.2.2.2 मधुबनी जिले में भूकम्प का इतिहास

बिहार में आये बड़े भूकम्पों यथा

- दिनांक 23.10.1833– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 07.10.1920–बिहार उत्तर प्रदेश सीमा,
- दिनांक 15.01.1934– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 11.01.1962– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 21.08.1988–केन्द्र भारत नेपाल सीमा एवं
- दिनांक 25, 26 अप्रैल 2015–केन्द्र भारत–नेपाल सीमा

से मधुबनी जिला भी प्रभावित रहा है।

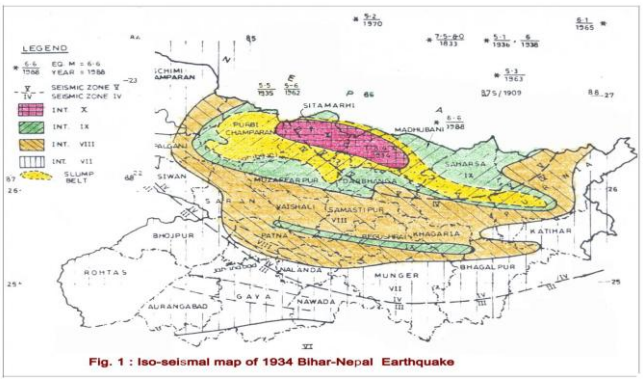

Fig. 1 : Iso-seismal map of 1934 Bihar-Nepal Earthquake

3.2.2.3 भूकम्प के संदर्भ में :

- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से प्रखण्डवार कुल 578 राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण। सूची प्राधिकरण के बेवसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है।
- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से कुल 54 अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण। सूची प्राधिकरण के बेवसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है।
- भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण सामग्री के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम।
- National Center for Seismology, Ministry of Earth Sciences के द्वारा Seismological एवं VSAT equipments अंधराठाडी प्रखण्ड के गौर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में स्थापित किये जाने है।
- प्रत्येक वर्ष 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकम्प सुरक्षा सप्ताह, विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार एवं NDRF/SDRF के माध्यम से समय–समय पर मॉकड्रील द्वारा बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है।
- जिला में उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया गया है।

3.2.4 डुबने से होने वाली मृत्यु :

जिला एक बहु आपदा प्रवण क्षेत्र है। जहां प्राकृतिक जनित एवं मानव जनित आपदाएं होती रहती है। जिला में डूबने की घटना जो एक मानव जनित आपदा है, पिछले वर्षों में काफी बढ़ी है। जिला में विगत वर्षो में डूबने से हुई मृत्यु का विवरण इस प्रकार है :

डूबने से हुई मृत्यु (मानव)का प्रखण्डवार विवरण:–

	Harlakhi	Madhwapur	Basopatti	Jainagar	Ladania	Khutouna	Laukahi	Phulparas	Babubarhi	Khajauli	Kalubahi	Benipatti	Bisfi	Rahika (Madhubani)	Pandaul	Rajnagar	Andharatharhi	Jhanjharpur	Ghoghardiha	Lakhnaur	Madhepur	Total
वर्ष–2022	5	5	1	3	–	–	6	3	–	–	1	2	3	–	2	2	6	2	–	1	8	50
वर्ष–2021	1	–	1	3	2	–	1	–	1	–	2	3	5	–	1	1	2	–	1	2	1	28

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी।

3.2.4.1 डूबने से होने वाली मौतों के निम्न कारण प्रमुख है:

• **जलप्रपात के पास असावधानी बरतना। जलाशय में निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी।**	• **बचाव के कौशल यथा तैराकी आदि या अन्य बचाव के तरीके की जानकारी का अभाव।**
• **डूबने के दौरान उस व्यक्ति का बचाव करने में वहाँ उपस्थित समूह/व्यक्तियों की असमर्थता।**	• अचानक नदी की गहराई का अधिक हो जाना। • सेल्फी लेने के दौरान चूक।
• **तैरना नहीं आना।** • **नाव परिचालन के क्रम में निरीक्षण की कमी।**	• जलाशय में बच्चों पर ध्यान नहीं देना। • नाविकों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।

3.2.3 वज्रपात/ठनका :

वज्रपात, वायुमंडल की विशेष परिस्थिति में बादलों एवं पृथ्वी की सतह के बीच होने वाला क्रमिक व लगातार विद्युत प्रवाह है। इस विद्युत प्रवाह की वजह से वायुमंडल में उपर से नीचे तक एक तीव्र प्रकाश के साथ तेज आवाज (गर्जन) उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह को बिजली गिरना या ठनका के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत प्रवाह की वजह से पास की वायुमंडलीय हवा का तापमान करीब 30,000 Kelvin (53,5400F - 29726,850F) तक हो जाता है। इतने ज्यादा तापमान की वजह से विद्युत प्रवाह के रास्ते में आने वाली हवा के आयतन में अचानक काफी विस्तार होने से तेज गर्जना के साथ आवाज उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में आने से जन–माल की क्षति हो सकती है।

वज्रपात जिसे सामान्य भाषा में ठनका भी कहा जाता है एक ऐसी प्राकृतिक आपदा उभर कर आयी है जिसके बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक संख्या में जान माल की क्षति हो रही है। मानसून के दौरान होने वाले प्रमुख आपदा, बाढ़, डूबने से मृत्यु, सर्पदंश एवं ठनका आदि में ठनका अधिक घातक हो रही है। ऐसे तो मानसून का आगमन खुशहाली लाती है और खेती से जुड़े लोग अपने कार्यों में लग जाते है। परंतु मौसम एवं सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी के अभाव से लोग खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर ठनका के शिकार बन जाते हैं। अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे Extreme Weather conditions का भी ठनका की घटनाओं में वृद्धि होने में अहम योगदान है।

वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कई पहल की गयी है, जिसमें 'इन्द्रवज्र' मोबाइल एप एवं समुदाय स्तर पर जन जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। 'इन्द्रवज्र' मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठनका के संभावित समय/स्थल के बारे में 30 – 40 मिनट पहले ही जानकारी मिल जाती है, जिससे कि वे ठनका गिरने के पूर्व सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें।

राज्य/जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से मौसम एवं वज्रपात से बचाव के संबंध में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ताकि जान–माल कर क्षति न हो।

3.2.3.1 वज्रपात से जिला में हुई मृत्य

वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 तक का विवरण इस प्रकार रहा है:

वज्रपात से जिला में हुई मृत्यु का विवरण	
2018	4
2019	2
2020	13
2021	4
2022 (सितम्बर)	6
कुल	29

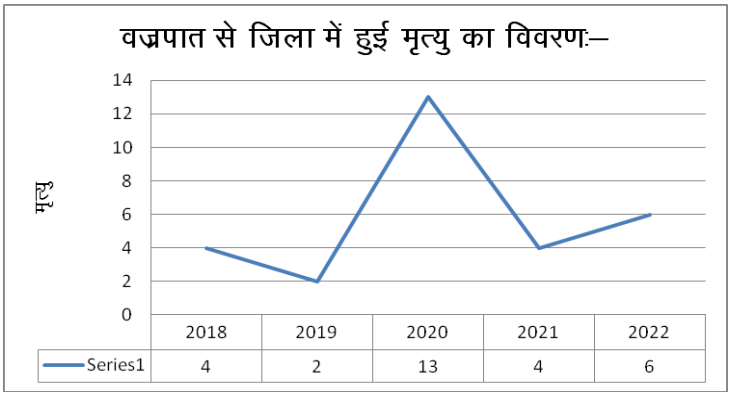

वज्रपात से हुई मृत्यु (मानव) का प्रखण्डवार विवरणः–

	Harlakhi	Madhwapur	Basopatti	Jainagar	Ladania	Khutouna	Laukahi	Phulparas	Babubarhi	Khajauli	Kaluahi	Benipatti	Bisfi	Rahika (Madhubani)	Pandaul	Rajnagar	Andharthari	Jhanjharpur	Ghoghardiha	Lakhnaur	Madhepur	Total
वर्ष–2022	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
वर्ष–2021	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	4
वर्ष–2020	–	–	–	–	1	1	2	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	1	13
वर्ष–2019	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
वर्ष–2018	–	–	–	–	–	–	–	–	1		1		1	–	–	–	–	–	–	–	1	4

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी।

3.2.3.2. वज्रपात से बचाव के उपाय

❖ **घर के अंदर वज्रपात से बचने के लिए क्या करें**

- यदि आप घर के अंदर हैं और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो तत्काल सभी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। केवल स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलता। डिस्कनेक्शन जरूरी है।
- खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर दें। खुले बरामदे और छत पर ना जाएं।
- ऐसी हर चीज से दूर रहें जहां करंट आने की संभावना है। रबड अथवा प्लास्टिक की चप्पले पहने।
- धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वाश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहे।

❖ **घर के बाहर आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें**

- वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं। इसलिए मौसम खराब होने पर उनके पास ना जाएं।
- ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें।
- समूह में खड़े होने के बजाय अलग– अलग हो जाएं।
- किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है।
- यदि आप किसी वाहन में है तो मौसम खराब होने पर भी उसी में बने रहे।
- खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- धातु से बने वस्तुओं का उपयोग न करें।
- बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें।
- यदि आप पानी के भीतर हैं, अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।

3.2.3.3. वज्रपात से संबंधित प्रश्नोत्तर

- वज्रपात का पूर्वानुमान कैसे लगाएं

  यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं व त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है।

- वज्रपात के शिकार व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करें

  बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेंशन यानि कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- क्या मोबाइल फोन पर बिजली गिर सकती है

  मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्टफोन में काफी पावरफुल एंटीना होता है जो तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह देते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट होने पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना है तो आपको तत्काल अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए।

- आकाशीय बिजली कब गिरती है

  आकाशीय बिजली हमेशा धरती से ऊष्मा मिलने के बाद गिरती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, वहां घटना से पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यानी कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उमस बहुत ज्यादा है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं।

3.2.4 अगलगी :

बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है। जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ मानव जनित आपदा भी है। जिला में अप्रैल से जून माह तक भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के इन महीनों मे जब पछुआ हवा बहती है तो समान्यतः अगलगी की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। अगलगी की घटनाओं से जान–माल की क्षति के साथ–साथ संसाधनों, कृषि, आजीविका, तथा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अगलगी की घटनाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं होते हैं। शहरों में अगलगी मुख्यतः शार्ट सर्किट एवं विद्युत उपकरणों के खराब रखरखाव के कारण जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बढ़ते तापमान के दौरान पछुआ हवा के समय लोगों के द्वारा सावधानियों पर ध्यान न देने आदि से होता है।

3.2.4.1 खतरे का आकलन :

प्रायः हर वर्ष अप्रैल से जून तक के महीनों में धीरे–धीरे तापमान में वृद्धि, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनी रहती है। जिला में आग से ज्यादातर खतरा ग्रामीण इलाकों में फूस, खपरैल और कच्चे मिट्टी की सहायता से बने झोपड़ियों को रहती है। फसल कटने के बाद खेत में छोड़े गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हे पर धान उसनने के क्रम में अगलगी की संभावना को खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। खेत में 'हारवेस्टर' के जरिए फसल काटने के बाद छोड़े गये डंठल को नष्ट करने के लिए आग लगाने से भी अगलगी का खतरा बना रहता है। जिला के उपनगरीय इलाकों में असुरक्षित रसोई घर से आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारो के कारण विद्युत के शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती रहती है। अग्निकांड की घटना किसी भी जगह हो सकती है इसलिए, इसे कम करने तथा इससे निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा अगलगी की घटनाएँ अत्यधिक होती हैं, क्योंकि वहाँ घरों के छत लकड़ी एवं बाँस तथा पुआल से बने होते हैं।

3.2.4.2 : अगलगी के मुख्य कारण

❖ जिला में अगलगी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

- बिजली का शार्ट सर्किट होना।
- विद्युत–उपकरणों के उपयोग में लापरवाही।
- तेज हवा चलने पर बिजली के लूज तारों के टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।
- गैस सिलिंडर से गैस का रिसाव।
- बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए फेक देना।
- मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलाई गई आग को बिना बुझाएं ही छोड़ देना।
- पछुआ हवा के दौरान हवन आदि करते समय लापरवाही।
- चूल्हे की आाग को बिना बिना बुझाएं ही छोड़ देना।
- फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- प्रज्ज्वलनशील पदार्थो का अव्यवस्थित रूप से भंडारण।

3.2.4.3 : जिला में अग्निकांड संबधी आंकड़े :

अग्निकांड से हुई मृत्यु (मानव) का प्रखण्डवार विवरणः–

	Harlakhi	Madhwapur	Basopatti	Jainagar	Ladania	Khutouna	Laukahi	Phulparas	Babubarhi	Khajauli	Kaluahi	Benipatti	Bisfi	Rahika (Madhubani)	Pandaul	Rajnagar	Andharatharhi	Jhanjharpur	Ghoghardiha	Lakhnaur	Madhepur	Total
वर्ष–2022	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
वर्ष–2021	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
वर्ष–2020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
वर्ष–2019	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
वर्ष–2018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी।

जिला में अग्निशमन हेतु निम्नलिखित वाहन उपलब्ध है :

- बड़ी अग्निशमन वाहन–03
- मध्यम अग्निशमन वाहन–02
- छोटी अग्निशमन वाहन–17

3.2.4.4 गर्मी/लू

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मीया लू की संज्ञा दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40^0 सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते है।

मधुबनी जिला मई माह में अपने भौगोलीक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी/लू जैसी प्रकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहा है, जिसके कारण मानव एवं पशु स्वास्थ्य के साथ–साथ कृषि भी प्रभावित होती रही है।

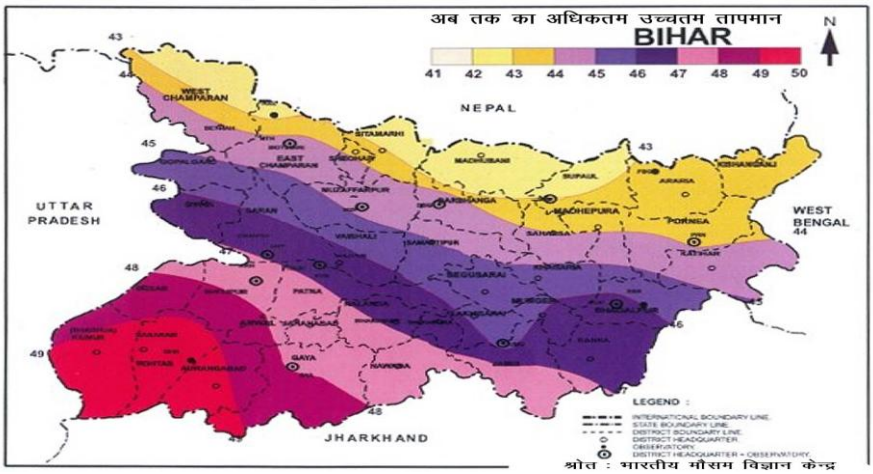

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापमान मानचित्र दर्शाता है कि मधुबनी जिला में अबतक संकलीत अधिकतम उच्चतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया है। तथा अधिकतम औसत तापमान 37 से 39 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच (मई महिने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधित यह डाटा बतलाता है कि मधुबनी जिला में लू एवं गर्मी संबंधी जोखिम बना रहता है।

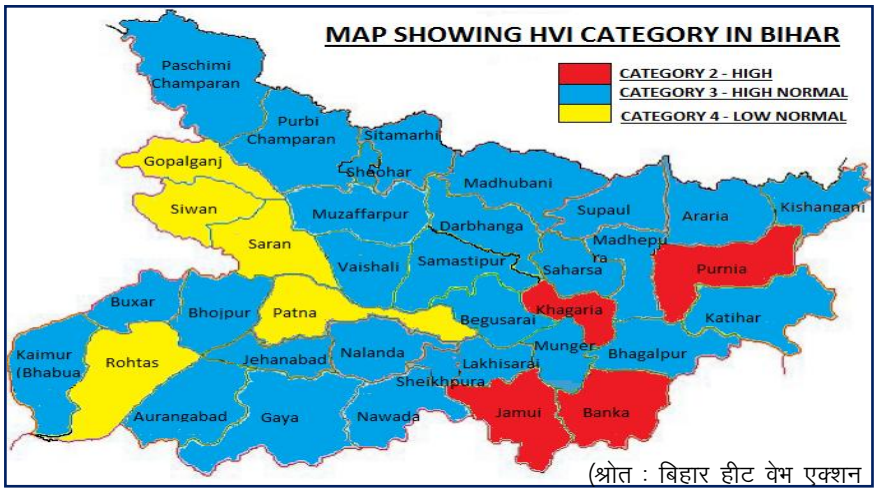

(श्रोत : बिहार हीट वेभ एक्शन

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र (HVI–Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलों की जनसंख्या, सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मुद्दों का ध्यान में रखा गया है। इस सर्वे के अनुसार मधुबनी जिला श्रेणी–4 में आता है, जो सामान्य से कम माना जायेगा।

3.4.4.5 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस जिला के सभी प्रखण्ड गर्मी/लू से प्रभावित होते है। उष्णलहर के कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक बने रहने के कारण निम्नलिखित समुह ज्यादा प्रभावित होते है।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह । (वृद्ध, बच्चे, कमजोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।

इस गर्मी और लू के कारण मानव एवं पशु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ (शरीर के अंगों में ऐंठन, अचेत होना आदि) उत्पन्न होती है। बढ़े तापमान के कारण स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले युवा वर्ग भी प्रभावित होते है।

3.2.4.6 गर्मी/लू के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित बिहार हीट वेभ एक्शन प्लान 2017 के निर्देशों के अनुरूप सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण/जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- स्थानीय सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से गर्मी/लू से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिग लगाया जाता है।

3.2.5 शीतलहर

जब सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता है एवं न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो तो उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। साथ यदि तापमान 0^0C से कम हो जाय या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहते है।

मधुबनी जिला में सामान्यतः दिसम्बर से जनवरी के बीच तापमान में व्यापक कमी आती है जो कभी–कभी शीतलहर/पाला का रूप ले लेती है।

3.2.5.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

शीतलहर और पाला से अपने भौगोलिक संरचना के कारण सम्पूर्ण मधुबनी प्रभावित होता है। मानव एवं पशु के स्वास्थ्य एवं कृषि को बड़े पैमाने पर क्षति पहुॅचती है। शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमजोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार ज्यादा प्रभावित होते है।

3.2.5.2 शीतलहर/पाला के प्रबंधन के संदर्भ में में उपलब्ध संसाधन

जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखण्डों में चिन्हित स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है।

- निःसहाय एव आवासहीन व्यक्तियों के आवासन के लिए राहत केन्द्रों का संचालन किया जाता है।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से शीतलहर/पाला से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिग लगाया जाता है।

3.2.6 सूखा

मधुबनी जिला मानसून के परिवर्तन के कारण बाढ़ के साथ सूखा जैसी आपदाओं से भी प्रभावित रहता है, जिसके कारण समाज की आर्थिक समाजिक संरचना प्रभावित तो होती हैं। विकास की प्रक्रिया भी अवरूद्ध होती है।

सूखे जैसी आपदा का मुख्य कारण वर्षापात में कमी, सिंचाई के साधनो यथा नहर नलकूप आदि का उचित प्रबंधन नहीं होना हैं। नहरो के अंतिम छोड़ तक पानी का नहीं पहुॅच पाना तथा अधिकतम नलकूपो का बंद रहना सूखे की स्थिति को और भयानक बना देते है।

3.2.6.1 सूखे के संकेतक

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

विभिन्न वर्षो का वर्षापात आकड़ा (2018–22) :

	2018	2019	2020	2021	2022
सामान्य वर्षापात	1307.5	1307.5	1307.5	1307.5	1307.5
औसत वर्षापात	950.8	1166.8	1529.3	1589.6	874.6
औसत वर्षापात से कम	356.7	140.7	–	–	874.6
औसत वर्षापात से ज्यादा	–	–	221.8	282.1	–
					श्रोतः– जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी

3.2.6.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावः

अपने भौगोलिक संचरना एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति के कारण मधुबनी जिले के दोनों अनुमण्डल सूखे से प्रभावित होते है। इस सूखे के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

1. पेयजल संकट
2. भू–जल स्तर में गिरावट
3. फसल क्षति

सूखे के कारण कई अंचलों में कुआॅ, आहार, तलाब एवं नल सूख जाते है जिसके कारण पशु तथा फसल बूरी तरह से प्रभावित होते है। मैदानी ईलाका होने के कारण मधुबनी जिले में भू–जल स्तर काफी निचे नहीं जाता हैं जिसके कारण मानव को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु सिंचाई की उचित साधन नहीं होने के कारण फसलों को व्यापक क्षति होती है।

3.2.6.3 सूखा के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- नहर एवं नलकूप– इस जिले में सारण नहर प्रमण्डल, भोरे एवं सारण नहर प्रमण्डल, मधुबनी के अन्तर्गत कुल मुख्य 09 नहरों का नेटवर्क है। सारण मुख्य नहर के अतिरिक्त 264.1 आर०डी० अन्य नहरों का नेटवर्क है। इनके द्वारा बड़े भू–भाग को सिंचित किया जाता है।
- मधुबनी जिले के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी के द्वारा कुल 287 नलकूपों का स्थापन किया गया है, जिसमें 130 चालू हालत में एवं 157 यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण बंद है। नलकूप के माध्यम से लगभग 46.85 हेक्टेयर खरीफ/रबी फसल की सिंचाई की जाती है।
- जिले में अल्पवृष्टि के कारण फसल बचाने हेतु कृषि विभाग के माध्यम से डिजल अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही अत्यधिक अल्पवृष्टि के स्थिति में कृषि विभाग द्वारा आकास्मिक फसल योजना का भी किसानों के मध्य क्रियान्वयन किया जाता है।

3.2.7 सड़क दुर्घटना

मधुबनी को प्रभावित करने वाले मानव जनित आपदाओं में सड़क दुर्घटना एक प्रमुख आपदा है। घनी आबादी के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी है।

मधुबनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। जिले में 100.90 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28, 56.41 कि०मी० राज्य उच्च पथ एवं 380.65 कि०मी० अन्य मुख्य जिला सड़क का नेटवर्क पूरे जिले में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 537.96 कि०मी० है।

जिले में सड़क उपलब्धता :

क्रमांक	विवरण	
1.	प्रतिलाख जनसंख्या पर उच्च पथ एवं बड़ी सड़क की लम्बाई	20.99 कि०मी०
2.	एक हजार वर्ग कि.मी. के उच्च पथ पर बड़ी सड़क की लम्बाई	264.62 कि०मी०
3.	ग्रामीण सड़क की संख्या	349
4.	ग्रामीण सड़कों की लम्बाई	698.592 कि०मी०

श्रोतः पथ निर्माण विभाग, मधुबनी

जिले में सड़क नेटवर्क (2022 जुलाई तक/लंबाई कि.मी. में)

जिला	राष्ट्रीय उच्च पथ	राज्य उच्च पथ	मुख्य जिला पथ
म्धुबनी	100.90 कि०मी०	56.41 कि०मी०	380.65 कि०मी०

श्रोतः पथ निर्माण विभाग, मधुबनी

MADHUBANI
Bihar
N
NEPAL
SITAMARHI
DARBHANGA
SUPAUL
SAHARSA
Harlakhi
Basopatti
Sahar
Khirhar
Selbeli
Jaynagar
Ladania
Kajauli
Laukaha
Khutanna
Laukahi
Maniarwa
Barhi
Siswar
Benipatti
Rajnagar
Andhra Tharki
Phulparas
Narahia
Bisfi
MADHUBANI
Nirmali
Rampatti
Sakri
Kothia
Jhanjharpur
Ghogandiha
Pandaul
Sarso
Tamoria
Madhepur
District Boundary
Major Road
District Headquarter
Taluk Headquarter
Town
Roads
River
Railway Track
International Boundary
BrandBihar.com

जिले में सड़कों नेटवर्क (जुलाई–2022 तक की लंबाई कि0मी0 में) :		
राष्ट्रीय उच्च पथ	**राज्य उच्च पथ**	**मुख्य जिला पथ**
1. एन0एच0–105 **(दिल्ली मोड़ से जयनगर)** **2. एन0एच0–527A** **(मेहथ ढ़ाला से पोखरौनी)** **3. एन0एच0–227** **(चरौत CH116.50 से नरहिया CH219-94 तक)**	1.रहिका–बेनीपट्टी–पुपरी पथ 2.रहिका–मधुबनी पथ 3.मधुबनी–सौराठ–पोखरौनी पथ 4.दरभंगा–कमतौल–बसैठा	1.मधुनबी–पंडौल–सकरी पथ 2.रैयाम–मधुबनी पथ 3.पंडौल हाई स्कूल से पंडौल बाजार पथ 4.पंडौल–बटलौहिया पथ 5.बटलोहिया–लोहट पथ 6.लोहट–भोरघा 7.रामपट्टी–बटलोहिया पथ 8.सरिसबपाही–पैटघाट पथ 9.पंडौल बाजार से कमलपुर गुमटी पथ 10.रामपट्टी–कोईलख–निर्भापुर–संतनगर–रामखेतारी पथ 11.मधुबनी–राजनगर–बाबूबरही–खुटौना पथ 12.खजौली–बासोपट्टी–कलुआही पथ 13.खजौली–सुक्की पथ 14.बेनीपट्टी–उच्चैठ–बसवरिया पथ 15.बेनीपट्टी–उमगॉव पथ 16.बासुकी–मधवापुर पथ 17.औंसी–बिस्फी पथ 18.बिस्फी–कमतौल पथ 19.लहेरियागंज–जितवारपुर–नाजिरपुर–कलुआही पथ 20.परसा–अखरारघाट पथ

जिले में विभिन्न मुख्य सड़के एवं उनकी लम्बाईः–

क्र0	कहॉ से कहॉ तक	लंबाई (कि0मी0)	अभ्युक्ति
1.	दिल्ली मोड़ से जयनगर (एन0एच0–227B)	53.76	
2.	मेहथ (समिया) ढ़ाला से पोखरौनी (एन0एच0–527B)	28.093	
3.	चरौत CH116.50 से नरहिया CH219-94 तक (NH-227)	103.445	
4.	रहिका से पूपरी पथ (एस0एच0–52)	39.65	
5.	रहिका से मधुबनी पथ (एस0एच0–52)	8.86	
6.	मधुबनी थाना चौक से चभच्चा चौक (मधुबनी–सौराठ–पोखरौनी पथ) (एस0एच0–52)	2.08	
7.	बसैठा से साहरघाट पथ (एस0एच0–75)	14.75	
8.	मधुबनी से खुटौना पथ	41.10	
9.	खजौली से कलुआही पथ	14.50	
10.	रामपट्टी से रामखेतारी पथ	13.20	
11.	लहेरियागंज से कलुआही पथ	11.00	
12	बेनीपट्टी उमगॉव पथ	19.90	
13.	बेनीपट्टी से बसवरिया पथ	12.70	
14.	परसा से अखरारघाट पथ	10.61	
15.	मधुबनी से सकरी पथ	14.20	
16.	रैयाम मधुबनी पथ	9.60	
17.	औंसी बिस्फी पथ	9.60	
18.	बिस्फी–कमतौल पथ	6.15	
19.	बासुकी–मधवापुर पथ	4.65	
20.	पंडौल–बटलौहिया पथ	4.80	
21.	बटलौहिया–लोहट पथ	2.50	
22	लोहट–भोरघाट पथ	2.50	
23.	रामपट्टी–बटलौहिया पथ	6.80	
24.	सरिसवपाही–पैटघाट पथ	3.70	
25.	पंडौल बाजार से कमलपुर गुमटी पथ	1.80	
26.	पंडौल हाई स्कूल से पंडौल बाजार पथ	1.20	
27.	खजौली सुक्की पथ	2.89	
कुलः–		443.438	

3.2.8.1 प्रभावित क्षेत्र एवं दुर्घटनाएँ

मधुबनी जिले से राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं अन्य प्रकार के पथों का घनत्व ज्यादा होने के कारण सम्पूर्ण जिला सड़क दुर्घटना से प्रभावित रहता है। मुख्यतः राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्यकीय उच्च पथ पर दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा पायी गयी। सड़क दुर्घटनाओं में यह वृद्धि सड़क सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है।

3.2.8.2 मधुबनी जिले में चिन्हित दुर्घटना जनित स्थलः

चिन्हित दुर्घटना जनित स्थल का विवरण।			
एन0एच0–105 (दिल्ली मोड़ से जयनगर)	एन0एच0–527A (मेहथ ढ़ाला से पोखरौनी)	रहिका–मधुबनी–पुपरी	मधुनबी–पंडौल–सकरी पथ
मधुबनी–राजनगर–बाबूबरही–खुटौना पथ	खजौली–बासोपट्टी–कलुआही पथ	बसैठा से साहरघाट पथ (एस0एच0–75)	

सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु का विवरण				
क्र0	वर्ष	कुल घटना	मृत	घायल
1	2019	262	174	231
2	2020	206	166	180
3	2021	203	170	138
4	2022	247	222	145
कुल :–		918	732	694

3.2.8.3 सड़क दुर्घटना के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- प्रतिवर्ष जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी एवं परिवहन विभाग, मधुबनी द्वारा निर्धारित समय पर **सड़क सुरक्षा सप्ताह** का आयोजन किया जाता है।
- पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा ब्लॉक स्पॉट के पास दुर्घटना के रोकथाम हेतु सूचना पटयों Zebra Crossing बनाया गया है।
- समय–समय पर गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमावली का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- दो पहिया वाहनों के चालकों को हेमलेट एवं चार पहिया वाहन के चालकों में सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

3.2.8 सर्पदंश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना के ज्ञापांक 1213/आ०प्र० दिनांक 24.03.2022 के द्वारा बाढ़ के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा के श्रेणी में सम्मलित किया गया है। मधुबनी जिला भी इस आपदा से प्रभावित होता रहा है। मानसून के समय नदियों एवं तलाबों में अतिरिक्त पानी के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर आ कर उच्च और सूखी जगह के तलाश में रहता है, जिसके कारण सर्पदंश की घटनाएं बाढ़ जाती है।

3.2.8.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

मैदानी ईलाका होने के कारण सम्पूर्ण मधुबनी सर्पदंश से प्रभावित होता है। मानसून अवधि के दौरान सर्पदंश के घटनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। सर्पदंश से दोनों मानव एवं पशुओं की क्षति होती है।

सर्पदंश से हुई मृत्यु का प्रखण्डवार विवरणः–

	Harlakhi	Madhwapur	Basopatti	Jainagar	Ladania	Khutouna	Laukahi	Phulparas	Babubarhi	Khajauli	Kaluahi	Benipatti	Bisfi	Rahika (Madhubani)	Pandaul	Rajnagar	Andhratharhi	Jhanjharpur	Ghoghardiha	Lakhnaur	Madhepur	Total
वर्ष–2022	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
वर्ष–2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी।

3.2.9 भीड/भगदड़

मधुबनी जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में उच्चैठ भगवती स्थान, बाबा कपलेश्वर स्थान रहिका, उगना महादेव स्थान, राज केम्पस राजनगर, काली मन्दिर मधुबनी प्रमुख है। जिला में समय–समय पर बड़े धार्मिक मेले (छठ पूजा, दुर्गापूजा, मुहर्रम, कार्तिक पूर्णिमा–नहान आदि) का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में भीड़ इक्कठा होने के कारण भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

3.2.9.1 भगदड़ प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

भगदड़ की स्थिति में जीवन क्षति का, अपंग होने का, प्रियजनों से बिछड़ने का एवं घायल होने की स्थिति बनी रहती है। जिला में प्रमुख पर्यटन स्थल, बड़े धार्मिक मेला स्थल भगदड़ प्रभावित क्षेत्र के अर्न्तगत आते है। जिला में भगदड़ से अभीतक बड़ी क्षति नहीं हुई है। परन्तु खतरे की संबेदनशीलता बनी रहती है।

3.2.9.2 भीड़/भगदड़ के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनः

- जिला प्रशासन द्वारा भीड़/भगदड़ प्रबंधन हेतु आवश्यकता अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किया जाता है।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वाच्छता हेतु विशेष कोषांगों का गठन किया गया है।
- भीड़ प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों का समय–समय पर जागरुक किया जाता है।

3.2.10 महामारी (कोविड–19)

वैश्विक महामारी कोविड–19 से मधुबनी जिला भी अछुता नहीं रहा है। वर्ष 2020 से कोविड–19 के संक्रमण की शुरूआत हो चुकी थी। इस महामारी ने जिले के आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर गहरा असर डाला है। मानक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व इसके संवेदनशीलता को और बढ़ा देते है।

3.2.10.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस महामारी के कारण सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ है।

कोविड–19 से हुई मृत्यु का प्रखण्डवार विवरणः–

	Harlakhi	Madhwapur	Basopatti	Jainagar	Ladania	Khutouna	Laukahi	Phulparas	Babubarhi	Khajauli	Kaluahi	Benipatti	Bisfi	Rahika	Pandaul	Rajnagar	Andhratharhi	Jhanjharpur	Ghoghardiha	Lakhnaur	Madhepur	Total
वर्ष–2022	–	–	1	–	1	6	–	1	–	–	5	2	–	–	–	–	1	1	8	–	–	26
वर्ष–2021	10	6	7	8	7	8	5	10	14	8	5	19	7	30	14	18	9	19	10	6	18	238

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधुबनी।

3.2.10.2 महामारी (कोविड–19) के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- उपलब्ध संसाधन–
  - जिला स्तरीय अस्पताल–1
  - अनुमंडलीय अस्पताल–1
  - रेफरल अस्पताल–3
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–11
  - अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र–23
  - स्वास्थ्य उप केन्द्र–186
- टिकाकरण– स्वास्थ्य विभाग मधुबनी द्वारा सघन टिकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
- जन जागरूकता अभियान– सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, इलेट्रॉनिक मिडिया, जन जागरूकता रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महामारी (कोविड–19) से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी के सहयोग से सभी हितधारकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.2.11 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि

प्राकृतिक आपदा चक्रवाली तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में जिला को प्रभावित करती है। बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी ''वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान झेलने की आंशका वाला जिला बताया गया है।

3.2.11.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इसके कारण फसल क्षति (खाद्यान, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढ़ाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से संपूर्ण जिला प्रभावित होता है।

3.2.11.2 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आने की पूर्व सूचना उपलब्ध करायी जाती है, जिसे हितधारकों में प्रचारित–प्रशारित किया जाता है।

3.2.12 औद्योगिक दुर्घटना

मधुबनी औद्योगिक खतरो के प्रति संवेदनशील जिला है। जिला में कुल 16400 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ है। इन औद्योगिक ईकाइयों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

3.2.12.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस औद्योगिक खतरे में बॉयलर फटना, जहरीली गैसो का स्त्राव एवं आधारभूत संरचनाओं के धवस्त होने जैसी घटनाएं हो सकती है, जिसके कारण मानव क्षति के साथ–साथ आर्थिक क्षति की प्रवल संभावना बनी रहती है। 20.12.2017 को सासामुसा चीनी मिल में बॉयलर फटने के कारण 06 मजदूरों की मृत्यु हुई थी तथा कई घायल हुये थे। औद्योगिक खतरों से औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले व्यक्ति एवं इकाईयों के समीप स्थित आबादी प्रभावित होती है। मधुबनी जिला में भारत चीनी मिल सिधवलिया, विष्णु चीनी मिल मधुबनी , सासामुसा चीनी मिल एवं सोनासती ऑर्गेनीक प्राईवेट लिमिटेड के निकटवर्ती गॉव यथा सिधवलिया, मधुबनी , सासामुसा एवं राजापट्टी एवं अन्य औद्योगिक ईकाइयों के निकटवर्ती गाँव औद्योगिक खतरो के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थल है।

3.2.12.2 औद्योगिक खतरा के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- उद्योग विभाग बिहार एवं स्थानीय औद्योगिक इकाईओं द्वारा नियमित समय अन्तराल पर बॉयलर जॉच हेतु प्रोफेशनलस की प्रतिनियुक्ति की गई है।
- औद्योगिक इकाईओं द्वारा औद्योगिक खतरों से निपटने हेतु समय–समय पर अपने हितधारको के बीच मॉकड्रील/प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

मधुबनी जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ अलग से जिला सड़क सुरक्षा भी गठित है। इसके साथ ही जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रति संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष तैयारी की जाती है। जिला में आपदा प्रबंधन कोषांग एवं जिला आपातकालीन सेवा केन्द्र समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में किये गए कार्यो का विवरणी इस प्रकार है:

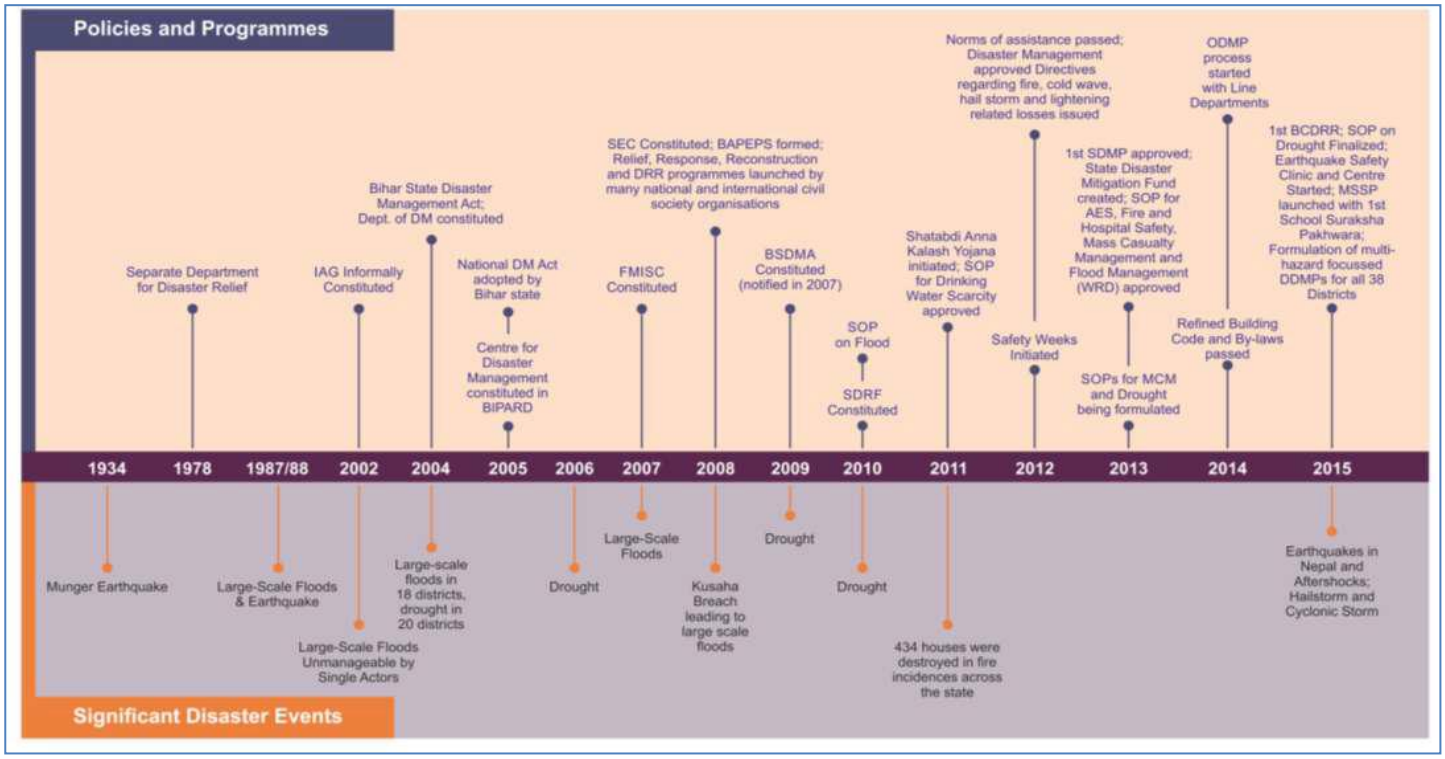

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकार, ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

1. *जिलाधिकारी* – *पदेन अध्यक्ष*
2. *जिला परिषद् के अध्यक्ष* – *सह अध्यक्ष*
3. *पुलिस अधीक्षक* – *सदस्य*
4. *उपविकास आयुक्त* – *सदस्य*
5. *असैनिक शल्य चिकित्सक* – *सदस्य*
6. *वरीय अपर समाहर्ता* – *सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी*
7. *जिला वरीयतम अभियंता* – *सदस्य*

4.2 पंचायती राज संस्थाये :

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में ''रिजेलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद के कार्यो मे पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स'' बनाया है। ''मास्टर ट्रेनर्स'' की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर उपलब्ध है।

4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन :

■ नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा की अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मत्रांलय तथा गृह मत्रांलय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौपा गया। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईया जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्स के केवल चार जिले पटना, बेगूसराय, पूर्णिया एवे कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। मधुबनी सहित अन्य 24 जिलों में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

बिहार राज्य नागरिक परिषद् के संदर्भ में पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं॰ मं0मं.0–02/बिरा0रा0प0–502/03–1218/सी0 दिनांक 14.06.2007 के द्वारा को पुनर्जीवित हुए पुनर्गठित किया है। इसका लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया है –

(क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा
(ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत है :

- *राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्*
- *जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्*
- *थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्*

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज–बचाव के कार्यो में उपयोगी हो सकते है।

■ जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र:

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र जिला मुख्यालय में अवस्थित है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। टीम के सदस्य, निदेशानुसार सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रशिक्षित लोग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है। ई॰ओ॰सी॰ की प्राथमिक जिम्मेदारी है ससमय, सही चेतावनी जारी करना। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला स्तर पर मौसम की पूर्वानुमान करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभागों एवं आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करती है। इस प्रकार इसके लिए आवश्यक है कि इसके संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत हो।

■ सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य :

जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त रहते हैं। पदाधिकारी के देख–रेख में केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- *सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र सक्रिय है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।*
- *लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।*
- *जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।*
- *जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।*
- *डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।*

■ बिहार अग्निशमन सेवाएं :

अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों द्वारा अगलगी की घटनाओं के प्रति सचेत रहें साथ ही इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवाएं, सरकार के अन्य संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु तैयारियों के लिए मार्गदर्शिका तैयार किया गया है।

बिहार अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के साथ–साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है। जिला में कुल 9 फायर स्टेशन है। स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध है।

■ राज्य आपदा मोचन बल :

राज्य के किसी भाग में आपदा के आने पर खोज, बचाव एवं राहत कार्यो के त्वरित निष्दान के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या –2/स्था–17–26/2008/698/आ0प्र0, दिनांक 16.3.2010 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force – SDRF) की एक बटालियन का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय बिहटा, पटना है। अपने गठन के पश्चात काफी कम अवधि में ही इसने अपने आप को विभिन्न उपकरणों के साथ एक सशक्त आपदा मोचन बल के रूप में स्थापित किया है। जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है।

एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, विशेष कर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पदान किया है। साथ ही छठ महापर्व, दुर्गा पूजा के दौरान मुर्ति विसर्जन एवं अन्य ऐसे आयोजनों, जहाँ काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण भगदड़/डूबने आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है के अवसरों पर भी इस टीम ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावे टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा

करती है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक–ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

■ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :

बिहार राज्य की अधिसूचना सं0 3449, दिनाकं 06.11.2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–18 के अधीन यथा उपबंधित तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित कृत्य प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं।

आपदा प्रबंधन की योजनाओं और नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण, आपदा प्रबधंन विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु प्राधिकरण के वेबसाइट (http://bsdma.org/Home.aspx) को देखा जा सकता है।

■ आपदा प्रबंधन विभाग :

बिहार, एक बहु– आपदा प्रवण राज्य है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), सहाय्य (Relief), पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Rehabilitation & Reconstruction) हेतु उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य :

- *आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को अधिक से अधिक सुदृढ़ करना।*
- *राज्य में होने वाले आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं इससे होने वाले क्षति को कम करने हेतु आवश्यक कार्य करना।*
- *आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्य तत्काल और पारदर्शी तरीके से करना।*

इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html) को देखा जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी के उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों को कार्यों की पहचान की गयी है।

- **निवारण/रोक थाम (Prevention) :**

वर्तमान अथवा संभावित आपदा जोखिमों के रोक–थाम हेतु किये जाने वाले कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा। यह खतरनाक घटनाओं के संभावित प्रतिकुल प्रभाव से पूरी तरह से बचने की अवधारणा एवं इरादा को व्यक्त करता है।

- **न्यूनीकरण (Mitigation) :**

खतरों के प्रतिकुल प्रभावों, विशेष रूप से कुछ प्राकृतिक खतरों (Natural Hazards) को अक्सर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विभिन्न रणनीतियों (Strategies) तथा उपायों (Measures) द्वारा उसके पैमाने (scales) या गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किये जाने वाले प्रयास को न्यूनीकरण कहा जाता है।

- **तैयारी/तत्परता (Preparadness) :** तैयारी या तत्परता, आवश्यकता पड़ने पर यथा शीध्र और उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका उद्येश्य आपदा स्थितियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करना होता है।

5.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में दिनांक 14 से 18 मार्च 2015 तक में आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेंडई में हुए इस विश्व सम्मेलन से प्राप्त अनुभव एवं बिहार राज्य के बहु आपदा प्रवण होने के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 10.05.2016 को "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030" का राज्यादेश अधिसूचीत किया गया। आपदा सुरक्षित बिहार (Disaster Resilient Bihar) की परिकल्पना के संदर्भ में रोड मैप में निम्नलिखित चार लक्ष्यों रखे गए हैं :

1. *वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।*
2. *वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवे नाव दुर्घटना) में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।*
3. *वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।*
4. *वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होने वाली क्षति में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।*

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समयबद्ध (अल्पकालीन–2020 तक मध्यकालीन–2025 तक एव दीर्घकालीन–2030 तक) करते हुए रोड मैप में शामिल किया है। इन क्रियाकलापों को बेहतर क्रियान्वयन हेतु पाँच विभिन्न हिस्सों में बाँटा गया है।

जो इस प्रकार है :

- **सुरक्षित ग्राम** (Resilient Village)
- **सुरक्षित शहर** (Resilient City)
- **सुरक्षित आजीविका** (Resilient Livelihood)
- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ** (Resilient Basic Services)
- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ** (Resilient Critical Infrastructure)

- **सुरक्षित ग्राम :** सुरक्षित ग्राम से तात्पर्य है :
  - – ग्रामिणों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
  - – आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना
  - – गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से ग्रामिणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
  - – संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
  - – पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - – स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ग्रामिणों में लगातार क्षमता विकसित करना।
- **सुरक्षित शहर :** सुरक्षित शहर से तात्पर्य है :
  - – शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
  - – आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को शहर की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना
  - – शहरी में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से शहर में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
  - – संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
  - – पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - – स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु शहरवासियों में लगातार क्षमता विकसित करना।
- **सुरक्षित आजीविका :**
  - – यह साधनों, गतिविधियों और अधिकारों के परस्पर क्रिया के रूप में परिकल्पित है। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले लोग ;
    - जोखिमों के विश्लेषण, पूर्व चेतावनी, जोखिमों में कमी, जोखिमों का हस्तांतरण या साझाकरण के माध्यम से आपदाओं एवं इसके कारण तनावों का अनुमान लगा कर सुनियोजित तरीके से इसका सामना कर सकते हैं।
    - प्रभावी योजना के माध्यम से लोग बढ़ी हुई क्षमताओं और अवसरों के साथ उबरने में सक्षम हो सकेंगे।
    - लोग बेहतर रोकथाम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के अनुकूल होने में सक्षम हो सकेगें।
    - लोग आजीविका की दृष्टिकोण किसी प्रकार के आपदा जोखिम पैदा किये बिना वैकल्पिक आजीविका क्षमता और संपत्ति विकसित करने में सक्षम होंगे।

- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ :** सुरक्षित बुनियादी संवाएँ से तात्पर्य है :

  – स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को आपदारोधी (Disaster Resilient) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के उपाय को बेहतर बनाना,

  – बुनियादी संवाएँ के प्रति आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित हितधारकों /सेवाओं का आवश्यकतानुसार क्षमता विकास/निर्माण/वर्द्धन करना

- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :** सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ से तात्पर्य है :

  – सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना, तटबंध, दूरसंचार, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एंव स्वास्थ्य सेवाएँ आदि महत्वपूर्ण सेवाएँ जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदारोधी बनाने एवं आपदाओं के समय में, इन सेवाओं का अनवरत चालू रखने से है।

5.2 जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य

उपरोक्त पाँच हिस्सों के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी इस प्रकार है:

सुरक्षित ग्राम

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	ग्राम स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	ग्राम चेकलिस्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभागों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (CSO) के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, आगनवाड़ी केन्द्र, मोबाइल टावर आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	राजमिस्त्रियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण, गोताखोरों के लिए खोज एवं बचाव, आगंनवाड़ी सेविकाओं के लिए आपदाओं में क्या करें क्या न करें, ए.एन.एम., के लिए सी.पी.आर, होमगार्ड के लिए अफवाह प्रबंधन जैसे विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		

सुरक्षित ग्राम

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
9	ग्रामिणों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले गाँवों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।		
12	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
13	गाँवों में (खास कर सूखा प्रभावित) मनरेगाा के अंतगर्त जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली के निर्माण को सुनिश्चित करना।		
14	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		
15	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।		
16	युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निःशक्तजन को शामिल करते हुए सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर, सुरक्षा संबंधी कार्यो को बढ़ावा देना।		
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
18	नाव दुर्घटना के कारण होने वाले क्षति के प्रति नाव चालकों और समुदाय के लोगों को मॉडल नाव सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकत करना।		
19	गर्मी के दिनों में पछुआ हवा चलने से पहले, आग की घटनाओं के रोकथाम एवं इसे नियंत्रित करने के लिए चेकलिस्ट के आधार पर उचित तैयारी सुनिश्चित करना।		
20	आपदाओं के दौरान उचित देखभाल हो सके, इसके लिए बच्चों, बीमार, वृद्ध, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार कर उसे अद्यतन करते रहना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	शहर स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर शहरी आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (CSO), एन.जी.ओ. आदि के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, कार्यालय भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, मोबाइल टावर, मॉल आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, राजमिस्त्रियों, गृहस्वामियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण से संबंधित विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
9	शहरी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के तंत्र के प्रमुख तत्वों जैसे प्राकृतिक जल निकाय (नदी, तालाब, पोखर, नाला आदि), वृक्षारोपण क्षेत्र, वन एवं आर्द्रभूमि आदि की पहचान करना एवं ये सुनिश्चित करना कि इसका अतिक्रमण न हो। ऐसे मृत हो चुके प्राकृतिक संसाधनों/तत्वों के रेस्टॉरेशन के लिए योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्य करना।		
10	शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित करना एवं कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया हो तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सतत अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
11	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल जमाव के खतरे, उपलब्ध जल संसाधन, जल निकासी प्रबंधन प्रणाली (Draniage Mgmt System) के साथ साथ प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) तथा शहरी बाढ़ एवं जल जमाव पर इन सभी के प्रभाव का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करना।		

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
12	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
13	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
14	बाढ़ एवं जल जमाव के जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) के आधार पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में वॉटर पंपस (Water pumps) और पम्पिंग स्टेशन की आवश्यकता का आकलन करना		
15	शहरी क्षेत्रों में उचित स्थानों पर वेस्ट वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ रिसाइक्लिंग प्लांट को स्थापित करना तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) के साथ इसे एकीकृत करना।		
16	जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) एवं जोखिम सूचित योजना (Risk Informed Planning) जैसे विषयों पर संबंधित विभाग/संस्थाओं के अधिकारियों की व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
17	नियमित अंतराल पर विभिन्न आपदाओं विशेषकर आग एवं भूकम्प का मॉक ड्रिल एवं विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार, विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का समीक्षा कर संशोधन करना।		
18	शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त अग्निशमन उपकरणों और दमकल गाड़ियों को सुनिश्चित करना।		
19	भूकम्प की घटना के बाद मानव एवं पशु शवों काएवं ढांचागत मलबे (Infrastructural Debris) का निपटान (Disposal) के लिए क्षेत्र विशेष की पहचान कर चिन्हित करना।		
20	शहरी क्षेत्रों में आपदा से बचाव हेतु प्रभावी सूचना एवं जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है : • *विभिन्न आपदाओं के लिए सुरक्षा सप्ताह का वृहद स्तर पर आयोजन।* • *समय समय पर समाचार पत्रों, टीवी, एफ.एम रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा।* • *जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति (घर, वाहन आदि), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के लिए समुदायों को बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित करना।*		
21	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित आजीविका :			
क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	मौजूदा और संभावित आजीविका समूहों जैसे कि लीची, फूल, सब्जी, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, कपास, रेशम, अगरबत्ती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री आदि के लिए आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	आपदा के संदर्भ में विशिष्ट फसल पैकेज और तकनीकों के विकास में अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) के कार्यो को समर्थन एवं बढ़ावा देना। ऐसे कार्यो को विश्वविद्यालयों की प्रायोगिक भूमि में न कर, किसानों की भूमि पर प्रदर्शित करने को प्रोत्साहित करना।		
4	आजीविका से संबंधित कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट, बागबानी, पशुधन आदि के लिए नवाचारों एवं विस्तार प्रशिक्षण (Innovation & Extention training) के प्रदर्शन हेतु संबंधित हितधारकों द्वारा फील्ड स्कूल के स्थापना को बढ़ावा देना।		
5	कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं इसके उचित रख रखाव को बढ़ावा देना।		
6	संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।		
7	बाढ़ या अत्यधिक वर्षा के दौरान मवेशियों की बीमारियों को रोकने के लिए मानसून पूर्व मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।		
8	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
9	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशुधन से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना एवं इसे नियमित रूप से अपडेट करना।		
10	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तथा इसके चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन में आजीविका को सम्मिलित करना।		
11	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदारोधी आजीविका के संदर्भ में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण एवं उसका क्षमतावर्द्धन करना।		
12	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

सुरक्षित आजीविका :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
13	आपदा के संदर्भ में सुरक्षित आजीविका से संबंधित अच्छी प्रथाओं एवं सफल केस स्टडी को साझा करना एवं प्रोत्साहन देना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम
14	बंजर भूमि (Wasteland) विकास, चारा विकास, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी और आर्द्र भूमि (Wetland) आदि से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		
15	अचानक बाढ़ (Flash flood) के जोखिमों को कम करने के लिए जल निकासी विकास योजनाओ को बढ़ावा देना।		
16	राज्य कौशल विकास मिशन के सहयोग से युवाओं और महिलाओं के कौशल निर्माण और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यक्रम को बढ़ावा देना।		
17	उपनगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में अपंजीकृत छोटे उत्पदाकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के पंजीकरण हेतु तंत्र विकसित करना।		
18	आजीविका के अवसरों के आकलन में ग्राम पंचाायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, आजीविका मूल्यांकन तथा मुआवजे के प्रावधान के कार्यान्वयन और निगरानी को बढ़ावा देना।		
19	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके एवं जिससे आजीविका प्रभावित होती हो जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
20	लोगों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।		
21	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		
23	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	बुनियादी सेवाओं से संबंधित संस्थानों जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आदि के संरचना निर्माण के दिशानिर्देशों (Guidelines) एवं डिजाइनों की समीक्षा कर बहु आपदा जोखिम (Multi disaster risk) की दृष्टि से संरचनात्मक सुरक्षा तत्वों का शामिल होना सुनिश्चित करें।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ जोखिम विश्लेषण करना।		
3	जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
4	रेसिलिएंस इंडेक्स के आधार पर वर्तमान स्थितियों का निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का आकलन करना।		
5	निर्माण के कार्य आपदारोधी (भूकम्प/आग/ठनका आदि) के साथ साथ दिव्यांगजनों एवं पर्यावरण के अनुकूल हो को सुनिश्चित करना।		
6	विभिन्न श्रेणी जैसे मैटरनिटी, आर्थोपेडिक्स, चाइल्ड हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स आदि के अनुसार निजी, ट्रस्ट एवं सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहचान करना।		
7	वेक्टर जनित एवं जल जनित बीमारियों सहित जैविक खतरों के प्रबंधन हेतु एस. ओ. पी. तैयार कर उसके अनुसार कार्यान्वयन करना।		
8	संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।		
9	आपदाओं दौरान प्रभावितों को पीने योग पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Mgmt) के लिए एक प्रभावी कार्य योजना सुनिश्चित करना।		
12	आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मानदंडों (Norms), दिशानिर्देशों (Guidelines), एस. ओ. पी. आदि के कार्यान्वयन पर सेवा प्रदाताओं, तकनीशियनों, पी. आर.आई एवं यूएलबी के कर्मियों तथा एसएचजी एवं अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करना।		
13	विभिन्न हितधारकों विशेष कर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एवं एन.जी.ओं के मदद से मॉक ड्रिल, आई.ई.सी. सामग्रियों, विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से सुरक्षित बुनियादी सेवाओं पर सतत जन जागरूकता सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना।		
14	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाओं को प्रभावित करने वाले मौजूदा एवं संभावित आपदा जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक सेवक*	जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय जैसे पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण आदि के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		
3	आधारभूत संरचनाओं कार्यो (Operational functions) के लिए नियमित अंतराल पर परीक्षण एवं मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
4	आधारभूत संरचनाओं के कार्यन्वयन (Execution) से पहले प्रस्तावित कार्य निर्माण का जोखिम प्रभाव विश्लेषण (Risk Impact Analysis) को अनिवार्य बनाना।		
5	आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गो के साथ मौजूदा रोड नेटवर्क का मैप तैयार करना एवं लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित करना।		
7	बाढ़ नियंत्रण एस.ओ.पी. तथा तटबंध प्रबंधन दिशानिर्देश को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।		
8	बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बैकअप और पुनः कार्यक्षमता (regaining) सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता योजना (Infrastructure continuity Plan) विकसित करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।		
9	खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित कर, कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सतत अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
10	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
11	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

= = = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यो को बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/सह कर्मियों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (Concept), जानकारी (Information), कौशल (Skill), दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

सत्त के कार्य आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के लोगों एवं उनके माध्यम ये प्रशिक्षण एवं जागरूकता के कार्य होते रहे। संस्थागत क्षमतावर्द्धन के क्षेत्र में

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण कार्य लगातार किये जा रहे हैं। प्रशिक्षितो की सूची प्राधिकरण के वेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमतावर्धन के किया जा रहा है जिसे आगे भी आवश्यकतानुसार संशोधन कर करते रहने की आवश्यकता है। ऐसे क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमो से आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित एंव जागरूक होना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय समुदाय को ही 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा जाता है इसलिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर अन्य पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेगें। इस संबंध में बि.रा.आर.प्र.प्रा. द्वारा तैयार मुख्या सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्किता को देखा जा सकता है।

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं एवं राजमिस्त्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में फोकल शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत अन्य संस्थओं (सरकारी/गैर–सरकारी) के सहयोग से प्रखंडों तथा पंचायतों में इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते रहने की आवश्यकता बनी रहेगी।

6.4 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के प्रस्तावित विषय :

क्षममावर्द्धन विभिन्न स्तरों पर होने वाली एक सत्त प्रक्रिया है।

6.4.1 पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• मुखिया • वार्ड सदस्य • सामुदायिक संगठन	1. पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। 2. पंचायत की विकास योजना/ मनरेगा योजना एवं निर्माण के कार्यो में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण। 4. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी। 5. स्थानीय आपदा एवं इसने बचने के उपाय।
02	• स्कूल/कॉलेज	1. स्कूल आपदा प्रबंधन कार्य योजना विषय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण। 2. आापदाओं से बचाव के उपाय 3. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 4. सुरक्षित शनिवार एवं गुरूवार कार्यक्रम का संचालन ।
03	• आंगनबाड़ी सेविका /सहायिका • आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. आपदओं के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	• स्थानीय राजमिस्त्री /शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंपरोधी भवन निर्माण सत्त जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम

6.4.2 प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों/गाँवों के प्रबुद्ध लोगों को प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) • कृषि सलाहकार	1. आपदा, आपदा के प्रभाव एवं आपदा प्रबंधन के उपाय पर प्रशिक्षण। 2. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव की जानकारी। 3. मौसमीय कृषि एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 4. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 5. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं इसके फायदें।
02	• पंचायत सचिव • विकास मित्र	1. विभिन्न समुदायो का आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, एवं संभावित खतरों का आकंलन, क्षमतावर्द्धन के उपाय। 3. लेखा संधारण।
03	• ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	आपदा प्रभावितों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ प्रशिक्षण।
04	• स्थानीय राजमिस्त्रिों, शटरींग मिस्त्रियों, बार बांईडर आदि	भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण ।

6.4.3 जिला स्तर :

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :

क्र॰	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में। 8. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 9. स्थानीय स्तर पर विभिन्न पेशेवर समुदायों का विषयवार प्रशिक्षण। 10. अभियंताओं / राजमिस्त्रियों / संवेदकों / बार बाईन्डर / शटरींग मिस्त्रियों आदि का भूकंपरोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज पर प्रशिक्षण। 11. विभिन्न आपदाओं के बारे संबंधित हितधरकों का प्रशिक्षण। 12. जिला में हो रहे एवं होने वाले विकास कार्यो में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलूओं को समावेश करना। 13. जिला आपदा प्रबंधन योजना

6.5. प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module):

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी के प्रति समाज के विभिन्न स्तरों पर सजगता लाई जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षित लोगों की सूची जिला के बेवसाइट के साथ साथ प्रखण्ड कार्यालय में भी आम जनो के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह दायित्व है कि प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉस कार्य में उपयोग करें।

■ प्रशिक्षित लोगों की सूची (List of Trained Persons) :

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षत लोगो की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्राशिक्षिण प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची।
- भूकंपरोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदको, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकंपरोधी मकान से संबंधित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनर्स' ' की सूची।

- पशुचिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतगर्त प्रशिक्षित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

■ प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुख्या, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूंल ।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉडयृल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.6 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओ के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा सहायक एजेसिंयों के नोडल पदाधिकारियों को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये है।

= = = = = =

अध्याय : 7
प्रत्युत्तर योजना
RESPONSE PLAN

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निपटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युतर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक हैं। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा के पूर्व सूचना तथा इसकी व्रीवता तथा विस्तार का अनुमान होते ही मोचन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमि का अदा करने में प्रवृत हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबंल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभर करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

आपदाऐं, विकास में बाधा डालती है। आपदाओं के प्रबंधन में कार्य करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, नागरिक समाज एवं इसके विविध संस्थानों की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन में शामिल होने वाले क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति एवं प्रकार पर भी निर्भर होते हैं। यह देखा गया है कि आपदाओं के समय में, संसाधनों की कमी के अलावा, विविध एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी होती है तथा विविध हितधारकों के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता के अभाव में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कार्रवाई सुनियोजित हो साथ ही हितधारक प्रशिक्षित हों, तो कार्रवाई सहज एवं प्रभावी होगी।

उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकरा द्वारा Incident Response System (IRS) विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विविध कार्यभारों (डयूटियों) को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूर्व–पदनामित करना तथा साथ ही साथ उनको उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है।

यह वास्तविक घटना प्रबंधन के दौरान अव्यवस्था तथा संभ्रम/व्याकुलता को कम करने में मदद करता है। यह प्रणाली परिकल्पना करती है कि भूमिकाओं एवं कार्यों को पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रणाली की कई लाभप्रद विशेषताएं हैं जैसे

- कमांड की एकता एवं श्रृंखला,
- संगठनात्मक लचीलापन,
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व / जवाबदेही,
- एकीकृत संचार,
- योजना एवं व्यापक संसाधन संग्रहण, परिनियोजन एवं असंग्रहण,
- सूचना प्रबंधन,
- गतिविधियों का समुचित प्रलेखन,
- मीडिया प्रबंधन एवं
- एजेंसी समन्वयन।

जिला स्तर पर Incident Response System (IRS) के अनुरूप कार्य हेतु Framework

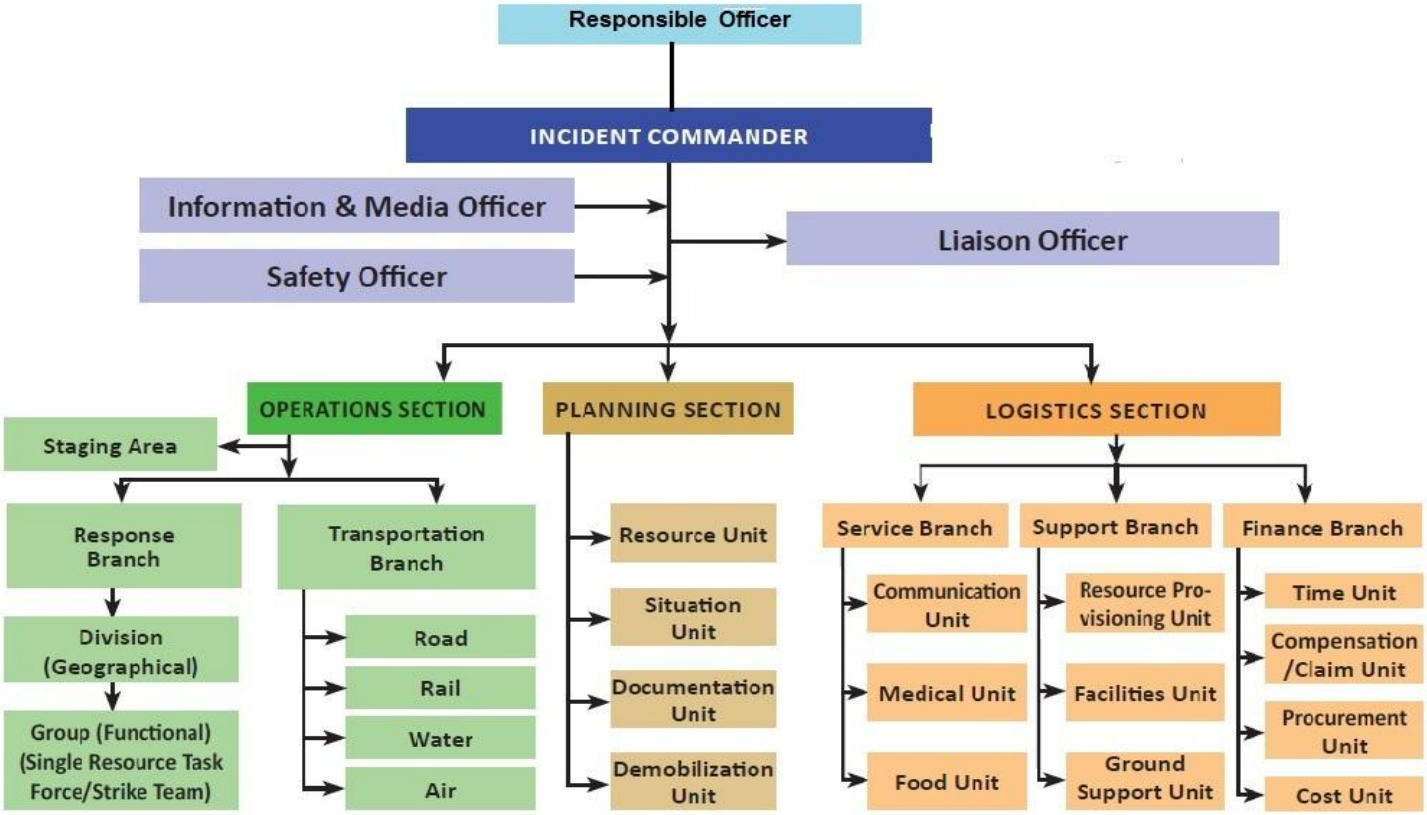

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं Incident Commander के रूप में कार्यरत होते है। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात Incident Commander को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

Incident Commander

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को Incident Commander नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

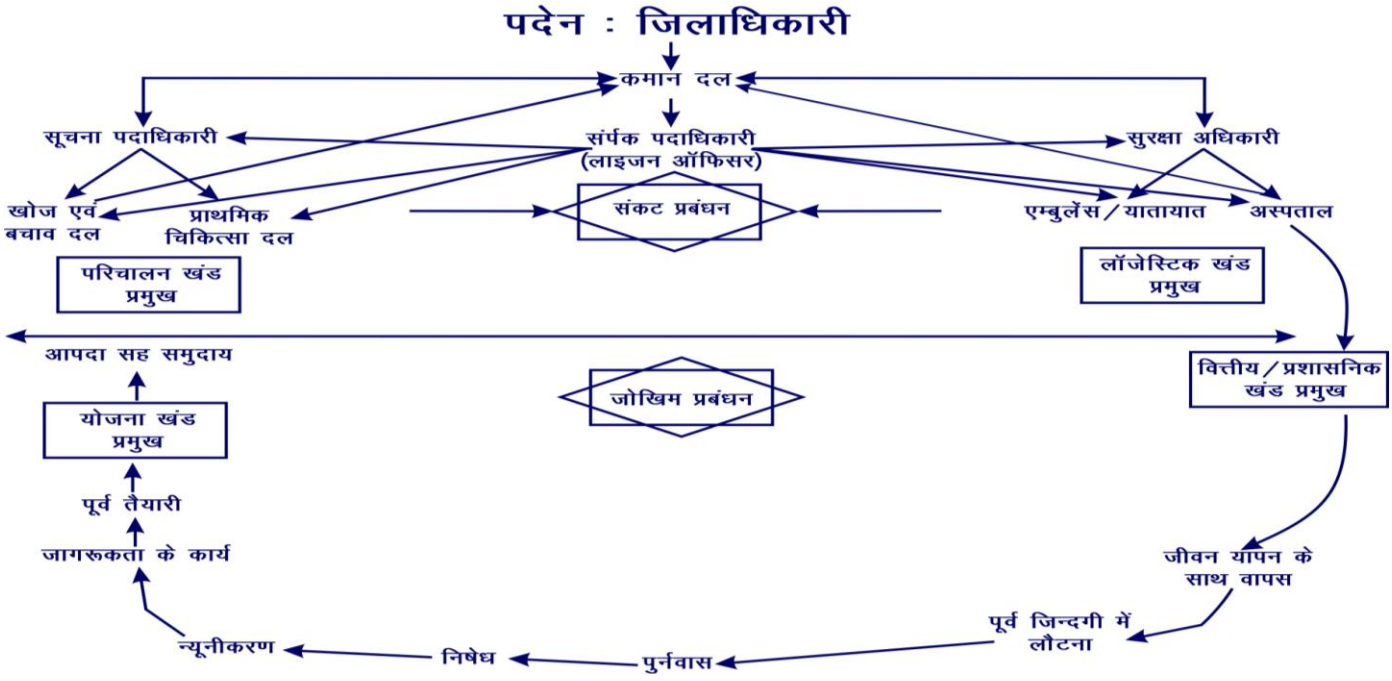

ज्यों ही Incident Commander के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे Incident Commander के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

Incident Commander द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते है और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते है।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र Incident Commander ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेगें। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के Incident Commander होते है।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 Incident Commander का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगो के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- Incident Response Commander को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,

- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिला में हितधारकोंएवं उनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए है।

2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते है जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते है।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते है। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते है। हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी

कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

आपदा कि स्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना मिलने पर की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपातकालीन सेवा कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- अपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
- अपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।

- अपातकालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपातकालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, अपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰एस॰एफ॰ आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेगें ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियां प्राप्त की जायगीं जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौपेगी।

7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी॰एम॰टी॰ आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

○ 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

आपदा का प्रकार	उत्तरदायी विभाग/एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
भूकंप, बाढ़, सुखाड़, **अग्नि, चक्रवात,** **भीड़– भगदड़,** **आँधी, ओलावृष्टि,** **सड़क, रेल, नाव** **दुर्घटना**	• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य आपातकालीन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार निगम, • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच. एफ./भी.एच.एफ. • मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	○ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ○ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन । ○ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ○ मौसम विभाग से संपर्क। • बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथो को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन । • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
अग्नि	• अग्निसेवा • पुलिस • पंचायत	• अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
सूखा	• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	• मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	प्राकृतिक एवं मानव जनित	○ आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। ○ जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना । ○ आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की सक्रिय करना। ○ नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
• अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	**बाढ़/भूकम्प**	○ स्थिति की गंभीरता का आकलन। ○ क्षति का प्रारंभिक आकलन। ○ राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। ○ सेना की माँग। ○ हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य व्यवस्था, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु ○ मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। ○ राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी।	
• जिलाधिकारी । • पुलिस ।	**अग्नि**	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। ○ कंट्रोल रूम को चालू रखना। ○ अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। ○ डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ अनुश्रवण। ○ सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

• 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन • रेड क्रॉस सोसाइटी • एन.जी.ओ. • एवं अन्य हितधारक	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबने की घटना, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़, व्रजपात आदि	○ खोज एवं निष्क्रमण(Evacuation) करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल (Evacuation Team) की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। ○ खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। ○ सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। ○ प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। ○ अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। ○ राहत शिविरों में रहने, खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति/सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
		• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) ○ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरो तक स्थानान्तरण। ○ बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण। ○ राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। ○ तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
		• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	

• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। ○ फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। ○ फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। ○ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। ○ बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। ○ पशु संसाधन की देखभाल ○ सामाजिक सुरक्षा ○ मध्याहन भोजन की व्यवस्था ○ रोजगार सृजन। ○ मुफ्त साहाय्य।	

• 7.3.4 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवो का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	○ आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिषिका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होगें तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास' (Sustainable Development) तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' (Build-Back-Better) की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाउ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेगें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उने रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। *खंड–2 में अनुलग्नक–32* पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी
6	कृषि/पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के व्योरा का संकलन।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीमा कम्पनी

		• पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जोन वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत। राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है–
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
  - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
  - अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान,
  - गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान,
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितो को राहत वितरण के संबंध में अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से

संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

गोपालगंज जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतगर्त बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ हीं इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत् प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पाँस) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संभाव्य तरीके हो सकते है जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु, निधि के श्रोत के बारे में उल्लेख किया गया है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों..... के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यो के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदो हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत् निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	**कृषि रोड मैप**	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	**मनरेगा**	• पंचातय स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन

3	**सात निश्चय कार्यक्रम**	गली–नाली का स्थापन एंव हर घर नल का जल अंतगर्त पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	**शताब्दी अन्न कलश योजना–2011**	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	**बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना**	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	**दीनदयाल अंत्योदय योजना जीविका**	महिला सशक्तिकरण । स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगो को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग, (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	**आंगनवाड़ी**	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौश्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण –आई.सी.डी.एस.
10	**लोहिया स्वच्छ बिहार योजना**	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाको में सामुहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	**मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम**	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	**सर्व शिक्षा अभियान**	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	**प्रधानमंत्री सिंचाई योजना**	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	**आशा कार्यकर्त्ता**	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	**मिड–डे–मील योजना**	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	**प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण**	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	**सांसद आदर्श ग्राम योजना**	सांसदो द्वारा अपने क्षेत्र के तीन गॉव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 05 गॉवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	**सड़क सुरक्षा निधि**	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	**चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)**	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	**पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)**	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	**आपदा मोचन (Responce) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
24	**जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
25	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.4 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदओंसे प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।

1973

पत्रांक 1प्रा0आ0–17/2015/......./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc

Page 1

	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	**Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान।	₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियो तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली वार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आकमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना

		चाहिए।
2	**SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य**	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/ आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन।	वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
3	**RELIEF MEASURES/ राहत कार्य**	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or

		widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/ भूकम्प/ बाढ से बडे पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । ➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time

		period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
5	**AGRICULTURE/ कृषि**	
(i)	**Assistance farmers having landholding upto 2 ha./ 2**	

	हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य।	
I	**Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य**	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	**Rs. 12,200/-** per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
	(घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	**Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas . **Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।

	b) Perennial crops	**Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए सहायय राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।
	c) Sericulture	**Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 6,000/-** per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	**Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding.**	**Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas . **Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas **Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas - Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
(ii)	कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो।	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक।
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals*** **-** **Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc. **Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig

		Draught animals - **Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc. **Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. *Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	दूध देने वाला जानवर भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि ₹ 30,000/- की दर से भेंड़/बकरी ₹ 3,000/- की दर से अदुग्धकारी जानवर ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) पॉल्ट्री ₹ 50/– प्रति चिड़ियाँ की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा

		के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। **टिप्पणीः–** इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।
	ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 70/-** per day Small animals- **Rs. 35/-** per day, Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा / feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु।	बड़ा पशु ₹ 70/– प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 35/– प्रतिदिन की दर से । साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनो तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले

		में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा।
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एपफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा।
7	**FISHERY/ मत्स्य पालन**	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only **Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net **Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats **Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए

	ii) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 8,200** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 8,200/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्राालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)
8	**HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	**Rs. 4,100** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	**Rs. 4,100** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रकियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	**HOUSING/ अवास/मकान**	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**	
	i) Pucca house ii) Kutcha House	**Rs. 95,100/-** per house, in plain areas. **Rs. 95,100/-** प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	**Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas

	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	including Integrated Action Plan (IAP) districts. **Rs.1,01,900/-** प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई०ए०पी० जिलो सहित
	b) Severely damaged houses	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	
	(c) Partially Damaged Houses –	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 5,200/-** per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 3,200/-** per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।	
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 5,200/– प्रति मकान
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 3,200/– प्रति मकान
	d) Damaged / destroyed huts:	**Rs. 4,100/-** per hut, *(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)* *Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।
	e) Cattle shed attached with house	**Rs.2,100/-** per shed.
	(ड़) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 2,100/– प्रति पशु शेड

10	**INFRASTRUCTURE/** अधारभूत संरचना	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	**Activities of immediate nature :** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.** ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) • Hills: upto 20% of total of OR and PR. • In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. • In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case

		of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. • Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियॉ। Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	**तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :** तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **आवश्यकताओं का आंकलन :** आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चक्रवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत

		• सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा। • पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा। • क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा। • क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा। • क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा।
11.	**PROCUREMENT/ खरीद**	

		SDRF.
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	**Capacity Building / क्षमता निर्माण**	Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC) - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
		➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा मे भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से

2020 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से लागू होगा तथा एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

26/5

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

APPENDIX
(Item No. 10)
Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.

ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).

iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.

ii) Repair of breached culverts.

iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.

iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.

ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.

iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

a) Repair of village internal roads.

b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.

c) Repair of internal water supply lines.

d) Repair of street lights.

e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

6. Power: Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

*****

(परिशिष्ट मद संख्या–10 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूचीः–

1. पेय जलापूर्त्तिः
   I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग–टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/जल–कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।
   II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
   III. क्षतिग्रस्त पैंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।
2. सड़कः
   I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधें की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।
   II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।
   III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
   IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काउजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।
3. सिंचाईः
   I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।
   II. बंध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।
   III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।
   IV. शूक्ष्म, मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मति।
4. स्वास्थ्यः
   क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।
5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँः
   (क) गाँव के आंतरिक सड़को की मरम्मति।
   (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
   (ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।
   (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।
   (ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।
6. ऊर्जा : पोल/ कन्डकटर एव 11 केवी के ट्रांसफॉर्मर।

7- The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

	Items/ Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damage primary school building Higher secondary/ middlc/ collegc and other educational	Up to Rs. 1.50 lakh/unit
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs. 1.50 lakh/unit
iii)	Electric poles and wires etc.	Normative cost (upto Rs 4000 per pole and Rs 0.50

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

vi)	Rural road/bridge	Rs. 0.00 lakh/km
vii)	Drinking water scheme	Upto 1.50 lakh/unit
viii)	Irrigation Sector: Minor irrigation schemes/Canal Major irrigation scheme Flood control and anti Erosion Protection work	 Upto Rs. 1.50 lakh/scheme Not covered Not covered
ix)	Hydro Power Project/HT Distribution systems/Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt. Buildings viz. departmental/office building, departmental/residential quarters, religious structures, patwarkhana, Court premises play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/Permanent restoration work incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered (however, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters).
xv)	Procurement if equipments/machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

* If OR & PR rates are not provided by the State.

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यो में उपयोग किया जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण कार्यो में से एक है। यह किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन विशेष रूप से आपदा प्रबंधन योजना जैसी महत्वपूर्ण विषय की गुणवत्ता का वृद्धि करता है। प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है।

यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया। अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि के साथ कई स्तरों पर किया जाएगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायगा–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/ अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते है। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :– जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :– सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :– सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

10.1.10 जन जागरूकता (Public Awareness) :– जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

= = = = = =